



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 33

पटना, बुधवार,

28 श्रावण 1948 (श०)

19 अगस्त 2026(ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	02-28
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डीप०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4-बिहार अधिनियम	---
भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9-विज्ञापन	---
भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	29-31
पूरक	---
पूरक-क	---

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

उद्योग विभाग

अधिसूचनाएं

12 अगस्त 2026

सं० 3स/उ०स्था०(पदस्थापन)09/2023-4342—श्री विनोद कुमार, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा को महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा का प्रभार दिया जाता है।

(2) प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(3) यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अविनाश कुमार, उप सचिव।

12 अगस्त 2026

सं० 3(स०)/उ०स्था०(आरोप) 13-07/2026-4339—श्री अनिल कुमार मंडल, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, अररिया को घूस लेते निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, निगरानी विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 08.08.2026 को हिरासत में लिया गया।

अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के भाग-4 के नियम-9(2)(क) के आलोक में श्री अनिल कुमार मंडल, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, अररिया को हिरासत में लिये जाने की तिथि से निलम्बित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अविनाश कुमार, उप सचिव।

12 अगस्त 2026

सं० 3(स०)/उ०स्था०(मुकदमा)03/2023—4338—श्री भोला पासवान, परियोजना प्रबंधक-सह-प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, निगरानी विभाग, बिहार, पटना के Vigilance PS Case No-72/2014 के संदर्भ में माननीय विशेष निगरानी न्यायालय, सदर कोर्ट, पटना द्वारा दिनांक 22.07.2026 को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के भाग-4 के नियम-9(2)(क) के आलोक में न्यायिक अभिरक्षा में लिये जाने की तिथि से श्री भोला पासवान, परियोजना प्रबंधक-सह-प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा को निलम्बित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अविनाश कुमार, उप सचिव।

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

12 अगस्त 2026

सं० सं० 6/गो०-34-02/2001-3107—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-14282 दिनांक-06.08.2026 के आलोक में श्री प्रदीप कुमार मलिक, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गयाजी को पदभार ग्रहण करने की तिथि से अध्यक्ष, वाणिज्य-कर न्यायाधिकरण, बिहार, पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम तीन (03) वर्षों के लिए अथवा उनकी पैतृक सेवा में वार्षिक्य सेवानिवृत्ति की तिथि (जो पहले हो) तक के लिए होगी।

2. श्री प्रदीप कुमार मलिक को अध्यक्ष, वाणिज्य-कर न्यायाधिकरण के पद पर नियुक्ति अवधि में उन्हें अपने पैतृक संवर्ग कोटि के वेतनमान में वेतन देय होगा।
3. श्री प्रदीप कुमार मलिक के न्यायिक सेवा का पदाधिकारी होने के कारण राज्य सरकार द्वारा जो सुविधा न्यायिक पदाधिकारी को देय है, वही सुविधा इन्हें भी अनुमान्य होगा।
4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार सिंह, राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी
(सामान्य प्रशासन विभाग)
प्रभार प्रतिवेदन

अधिसूचना

29 जुलाई 2026

सं० 2369—अधोहस्ताक्षरी में, डॉ० बी. राजेन्द्र, भा० प्र० से० (बी एच: 1995) मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना के निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी (सचिव स्तर) के पद पर पदस्थापन होने के फलस्वरूप आज दिनांक-29.07.2026 के अपराह्न में मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना का स्वतः प्रभार त्याग किया।

(सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-13657, दिनांक-28.07.2026 द्रष्टव्य)

आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, भारमुक्त पदाधिकारी।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना

7 अगस्त 2026

सं० 7/वि० 2-20-04/2026 गृ० आ० 9747—भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम, 46) की धारा-15 के प्रावधानों के तहत विशिष्ट क्षेत्रों के लिए या विशिष्ट कृत्यों का पालन करने के लिए पुलिस क्षेत्र के जिलों (रेल पुलिस जिला को छोड़कर) में पदस्थापित वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (जिला पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण सहित) एवं क्षेत्र/प्रक्षेत्र में पदस्थापित पुलिस महानिरीक्षक/उप-महानिरीक्षक (रेल क्षेत्र/प्रक्षेत्र को छोड़कर) को, उनके अपने-अपने कार्य क्षेत्र में; सरस्वती पूजा, होली, रामनवमी, दुर्गा पूजा, दीपावली, ईद, बकरीद, मुहर्रम, काली पूजा, छठ पूजा, शब-ए-बरात पर लगने वाले मेला एवं जूलूस के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-125 से धारा-143 तक के अधीन विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अमलेन्दु कुमार सिंह, संयुक्त सचिव।

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

अधिसूचना

7 अगस्त 2026

सं० 1/स्था० (2) 06/2023 (खंड-3)-4224—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 से निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के क्रम में गठित विभागीय स्कीनिंग समिति की दिनांक-09.07.2026 को आयोजित बैठक की अनुशंसा के आलोक में पूर्णतः अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार मत्स्य सेवा संवर्ग के जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को उप मत्स्य निदेशक में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-11) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है:-

क्र०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान कोटि
1	2	3
1.	श्री विपिन जिला मत्स्य पदाधिकारी सम्प्रति अपने ही कोटि वेतनमान में प्रभारी उप मत्स्य निदेशक, मगध परिक्षेत्र, गया जी	जिला मत्स्य पदाधिकारी

2. संबंधित पदाधिकारी पदस्थापन होने तक वर्तमान धारित पदस्थापन पर ही उत्क्रमित पद का प्रभार ग्रहण करेंगे।
3. अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में उच्चतर पद का प्रभार प्राप्त करने वाले पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में अर्हता को प्रभावित करने वाले किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति पाये जाने पर संबंधित कर्मियों को प्रदत्त प्रभार आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा भुगतान की गयी अंतर राशि को भी वसूली कर ली जायेगी।
4. कार्यकारी व्यवस्था के तहत विहित वेतनमान में उच्चतर पद पर उत्क्रमित करते हुये दिया गया कार्यकारी प्रभार माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर अपीलवाद सं०-11/2019 निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बनाम विपिन के मामले में पारित होने वाले अंतिम न्याय निर्णय के फलाफल से प्रभावित होगा।
5. कार्यकारी व्यवस्था के तहत विहित वेतनमान में उच्चतर पद पर उत्क्रमित करते हुये दिया गया कार्यकारी प्रभार माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील सं०-4880/2017 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य सम्बद्धवादों में पारित होने वाले आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।
6. उपर्युक्त अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 से निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में की गयी है, जो इस नियमावली में किसी भी परिवर्तन के फलाफल से प्रभावित होगी।
7. उपर्युक्त पदाधिकारी द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक उप मत्स्य निदेशक (विहित वेतनमान-वेतन स्तर-11) में उत्क्रमित किया जाता है।
8. उपर्युक्त पदाधिकारी का पदभार ग्रहण करने की तिथि से उप मत्स्य निदेशक के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नीरज कुमार देवनाथ, अवर सचिव।

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचनाएं

16 जुलाई 2026

सं० निग/सारा-4(पथ) आरोप-40/2017 (अंश) 4816(S)--प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग के निदेशानुसार OPRMC अन्तर्गत संधारित पथों की वास्तविक स्थिति का आकलन करने हेतु विभागीय पत्रांक-5033 (एस) अनु० दिनांक-08.06.2017 द्वारा दिनांक-15.06.2017 से दिनांक-22.06.2017 के बीच संबंधित पथों का स्वतंत्र निरीक्षण कराने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत विभाग द्वारा गठित निरीक्षण दल के द्वारा निरीक्षणोपरांत समर्पित जाँच प्रतिवेदन का सत्यापन प्रमंडलीय कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों से किया गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षोपरान्त निम्न त्रुटियाँ/अनियमितता पाई गई :-

- (i) पथ निर्माण विभाग अन्तर्गत OPRMC के तहत पथ प्रमंडल, मधेपुरा अन्तर्गत पैकेज संख्या-27 में शामिल पथों, जिसकी सूची निम्नवत् है :-

सुपौल सिंघेश्वर रोड, पुनिया-सहरसा रोड, रा०उ०प०-106 से रा०उ०प०-107 पश्चिमी बाईपास रोड, कर्पूरी चौक से पतर घाट रोड, मुरलीगंज बभनगांवा बिहारीगंज रोड, किशुनगंज-बिहारीगंज रोड, कर्मा-आलमनगर रोड, आलमनगर-बुद्धमा माली चौक रोड, किशनगंज चौसा रोड, चौसा लौआलवान विजयघाट रोड, गोवालपाड़ा-अतलख रोड, खुरहान परेल रतवाड़ा रोड का रख-रखाव/संधारण अन्य पथ प्रमंडलों की तुलना में सबसे खराब स्थिति में पायी गयी है।

2. उक्त वर्णित पायी गयी त्रुटियों के संबंध में विभागीय पत्रांक-8869 (एस) अनु० दिनांक- 10.10.2017 द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार चौधरी, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल कुमारखंड, पथ प्रमंडल, मधेपुरा से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री चौधरी के द्वारा स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित नहीं किया गया।

3. तदालोक में श्री सुरेन्द्र कुमार चौधरी, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल कुमारखंड, पथ प्रमंडल, मधेपुरा सम्प्रति: सेवानिवृत्त के विरुद्ध उक्त त्रुटियों के लिए आरोप गठित कर विभागीय पत्रांक-4296 (एस) अनु० दिनांक-18.08.2022 के द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम-139 (ग) के तहत स्पष्टीकरण की मांग की गयी। स्मारोपरांत इनके पत्रांक-शून्य दिनांक-19.08.2025 द्वारा स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित किया गया।

4. श्री चौधरी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर की विभागीय समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि मामले में समरूप आरोपों के लिए संबंधित कार्यपालक अभियंता श्री नौशाद आलम के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन के तहत गठित आरोपों को अप्रमाणित होने का निष्कर्ष दिया गया था। प्राप्त संचालन प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा के उपरांत पाया गया कि चूंकि **Service Level** में पाये गये **Non-Compliance** के लिए वांछित कटौतियाँ किये जाने की पुष्टि संचालन पदाधिकारी के द्वारा अभिलेखों के आधार पर की गयी है, साथ ही गठित आरोप की प्रकृति गुणवत्ता/विशिष्टियों से संबंधित न होकर भौतिक सत्यापन पर आधारित है, जिस कारण से संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष से असहमत होने का युक्तिसंगत आधार परिलक्षित नहीं होता है। तदनुसार, सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या-5395 (एस) दिनांक-05.09.2023 के द्वारा श्री नौशाद आलम, कार्यपालक अभियंता को आरोप मुक्त किया गया। इसी मामले में समरूप आरोपों के लिए एक अन्य आरोपी अभियंता **श्री सत्येश्वर मांझी**, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल उदाकिशुनगंज, पथ प्रमंडल, मधेपुरा सम्प्रति: सेवानिवृत्त के विरुद्ध आरोप गठित कर स्पष्टीकरण पूछा गया। इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर की विभागीय समीक्षोपरांत समरूप आरोपों के आधार पर इनके स्पष्टीकरण उत्तर को स्वीकार करते हुए श्री मांझी को आरोप मुक्त किया गया। इसी मामले में ही एक अन्य आरोपी अभियंता **श्री राजा बाबू**, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, मधेपुरा सम्प्रति: सेवानिवृत्त के स्पष्टीकरण उत्तर को भी समरूप आरोपों के आधार पर स्वीकार करते हुए गठित आरोप से मुक्त किया गया।

5. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सम्युक्त विचारोपरांत पाया गया कि “चूंकि इसी मामले में ही समरूप आरोपों के लिए संबंधित तत्कालीन कार्यपालक अभियंता श्री नौशाद आलम, तत्कालीन सहायक अभियंता श्री सत्येश्वर मांझी एवं तत्कालीन कनीय अभियंता श्री राजा बाबू को पूर्व में आरोप मुक्त किया जा चुका है।” इसलिए उक्त आधार पर आरोपी **श्री सुरेन्द्र कुमार चौधरी**, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल कुमारखंड, पथ प्रमंडल, मधेपुरा सम्प्रति: सेवानिवृत्त (दिनांक-31.01.2022) के स्पष्टीकरण उत्तर को स्वीकार करते हुए गठित आरोप से मुक्त किया जाता है।

6. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप सचिव।

17 जुलाई 2026

सं० निग/सारा (एन०एच०) आरोप-23/2020-4859(S)--श्री देवकान्त कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, शेखपुरा के विरुद्ध राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा के पदस्थापन काल में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-101 के कि०मी० 45.00 से 65.00 पथांश में (Job No.-101-BR-2016-17-1547) कराये गये PR कार्य में बिटुमिन की जाँच कराये बगैर ही कार्य में उपयोग की अनुमति देने एवं कार्य से संबंधित प्रथम एवं द्वितीय विपत्र पारित कर भुगतान हेतु प्रस्तुत करने संबंधी बरती गयी अनियमितता के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-5512 (एस) अनु० दिनांक 16.11.2021 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किया गया। उक्त संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में आरोप पत्र के तहत कुल 03 (तीन) आरोप निम्नवत् गठित किये गये हैं:-

(i) मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-532 अनु०, सहपठित ज्ञापांक-532 दिनांक-23.02.2017 की कंडिका-10 में अंकित है कि कार्य से संबंधित सामग्रियों की आपूर्ति/कार्य की गुणवत्ता से संबंधित जाँच में किसी तरह के त्रुटि/त्रुटियों के लिए संबंधित कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता दोषी होंगे।

विभागीय निदेश के बावजूद सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा के रूप में श्री कुमार द्वारा संवेदक के समर्पित पेपर की जाँच किये बगैर संवेदक के प्रथम एवं द्वितीय विपत्र को पारित कर भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया।

(ii) कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा के पत्रांक-896 दिनांक-04.12.2017 एवं पत्रांक-812 दिनांक-28.11.2019 के परिप्रेक्ष्य में बिटुमिन चालानों का सत्यापन कराये जाने के क्रम में IOCL, Patna के पत्रांक-शून्य, दिनांक-08.12.2017 एवं पत्रांक-शून्य दिनांक-29.11.2019 द्वारा बिटुमिन उठाव के संबंध में संवेदक के 31 चालानों में से सिर्फ 10 चालानों को ही सही पाया गया एवं शेष 21 चालानों को फर्जी पाया गया। इससे स्पष्ट है कि बिना बिटुमिन Procurement की जाँच कराये फर्जी चालानों पर किये गये बिटुमिन उठाव को कार्य में लाया गया।

(iii) Procured Bitumen की प्राप्ति के 07 दिनों के अंदर I.S.-73 के अनुसार जाँच से संतुष्ट होने के उपरान्त ही बिटुमिन को व्यवहार में लाने का निर्देश है, जिसका अनुपालन श्री कुमार के द्वारा नहीं किया गया तथा Bituminous कार्य कराया गया।

2. मुख्य अभियंता, दक्षिण-सह-संचालन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1221 अनु० दिनांक-28.05.2022 द्वारा उक्त संचालित अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया।

संचालन पदाधिकारी के द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन के तहत निष्कर्ष के रूप में श्री कुमार के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ के तहत गठित कुल 03 (तीन) आरोपों में से आरोप संख्या-(i) एवं (iii) को आंशिक रूप से तथा आरोप संख्या-(ii) को पूर्ण रूप से प्रमाणित होने का निष्कर्ष गठित किया गया। संचालन पदाधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री कुमार से विभागीय पत्रांक-6268 (एस) अनु० दिनांक-22.12.2022 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के रूप में लिखित अभिकथन की मांग की गयी।

3. श्री कुमार के द्वारा अपने पत्रांक-शून्य दिनांक-27.01.2023 के माध्यम से द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर समर्पित किया गया। श्री कुमार के द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर की विभागीय समीक्षा के उपरान्त स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप इसे अस्वीकार करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या-6271 सहपठित ज्ञापांक-6272 (एस), दिनांक-17.10.2023 के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(v) के तहत निम्न दण्ड संसूचित किया गया:-

(i) “दो (02) वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक”।

4. उक्त संसूचित दंडादेश के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा पत्रांक-शून्य दिनांक-30.10.2023 एवं पत्रांक-शून्य, दिनांक 03.04.2024 के माध्यम से पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसके विभागीय समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या-5018 (एस)-सहपठित ज्ञापांक-5019 (एस) दिनांक 15.10.2024 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

5. श्री कुमार के द्वारा पुनः पत्रांक-शून्य, दिनांक 08.04.2026 एवं पत्रांक-468, दिनांक 01.04.2026 द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री कुमार के द्वारा उल्लेख किया गया है कि आलोच्य मामले में समरूप आरोप के लिए तत्कालीन कनीय अभियंता, श्री वीरेन्द्र पासवान एवं उनके विरुद्ध प्रमाणित आरोप के लिए समान दण्ड “02 (दो) वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक” का दण्ड अधिरोपित किया गया था। बिटुमीन चालान का सत्यापन कराने में सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता की कोई भूमिका नहीं है। चालान सत्यापन की जिम्मेवारी कार्यपालक अभियंता की होती है। श्री पासवान, तत्कालीन कनीय अभियंता के विरुद्ध संसूचित दण्डादेश पर उनके द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन पर विचार करते हुए विभाग में उनके दण्डादेश को पुनरीक्षित कर “निन्दन” का दण्ड अधिरोपित किया गया है।

6. उल्लेखनीय है कि आलोच्य मामले में ही श्री वीरेन्द्र पासवान, तत्कालीन कनीय अभियंता के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित कर कार्यालय आदेश संख्या-222-सहपठित ज्ञापांक-7223 (ई०) दिनांक 21.11.2023 के द्वारा 02 (दो) वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड संसूचित किया गया। उक्त संसूचित दण्ड के विरुद्ध श्री पासवान द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन पर समीक्षोपरांत निर्णय लेते हुए विभागीय आदेश ज्ञापांक-2283 (एस) दिनांक 19.03.2026 द्वारा दण्ड को पुनरीक्षित करते हुए “निन्दन” का दण्ड दिया गया। श्री पासवान के दण्ड को पुनरीक्षित करने का मुख्य आधार निम्नवत है :-

“विभागीय पत्रांक-8320 (एस) अनु० दिनांक-21.07.2011 के अनुसार संवेदक के दस्तावेजी प्रमाण-पत्र (इनवायस इत्यादि) की शुद्धता की जाँच कराने का दायित्व संबंधित कार्यपालक अभियंता की होती है। इस मामले में संबंधित सहायक अभियंता के द्वारा बिटुमेन चालान/पेपर की जाँच कराने हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंता से लिखित अनुरोध भी किया गया है। संबंधित कार्यपालक अभियंता के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर में स्वयं स्वीकार किया गया है कि प्रारम्भ में विभिन्न परिस्थितिजन्य कारणों से कार्यहित में संवेदक के बिटुमेन चालान का सत्यापन नहीं कराया जा सका। इससे स्पष्ट होता है कि संवेदक के बिटुमेन चालान का सत्यापन नहीं कराने के लिए सीधे तौर पर संबंधित कार्यपालक अभियंता जिम्मेवार हैं। इस मामले में संबंधित कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध भी कार्रवाई करते हुए दंड अधिरोपित की गयी है। चूंकि इस मामले में श्री पासवान के द्वारा मापीपुस्त/विपत्र तैयार करने के कारण संवेदक को आंशिक रूप से भुगतान किया गया है, इसलिए बिटुमेन चालान के सत्यापन कराये बगैर संवेदक को भुगतान हो जाने के लिए आंशिक रूप से एवं अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार हैं। ऐसी स्थिति में श्री पासवान के विरुद्ध “दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक” के संसूचित दंड को प्रमाणित आरोपों के समानुपातिक नहीं माना जा सकता है। उक्त समीक्षा के आलोक में श्री पासवान के दण्ड को पुनरीक्षित करते हुए “निन्दन” का दण्ड अधिरोपित किया गया।

7. अतएव वर्णित तथ्यों के आलोक में चूंकि प्रस्तुत मामले में कनीय अभियंता के दंड को पुनरीक्षित करते हुए “निन्दन” का दंड अधिरोपित किया गया है, फलतः आरोप एवं दंड की एकरूपता के मद्देनजर रखते हुए श्री देवकान्त कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, शेखपुरा के विरुद्ध संसूचित दण्डादेश (विभागीय अधिसूचना संख्या-6271 (एस)-सहपठित ज्ञापांक-6272 (एस) दिनांक 17.10.2023) के तहत “दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक” के दंड को पुनरीक्षित करते हुए प्रमाणित आरोपों के समानुपातिक बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-14 (i) के तहत श्री कुमार के विरुद्ध आरोप वर्ष 2017-18 के लिए “निन्दन” का दंड अधिरोपित किया जाता है।

8. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप सचिव।

21 जुलाई 2026

सं० निग/सारा-1 (पथ)-आरोप-31/2025-5084(S)—श्री संजय कुमार भारती, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, लखीसराय सम्प्रति प्रभारी मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पथ प्रमंडल, लखीसराय पदस्थापन अवधि में बरती गयी अनियमितता के लिए विहित प्रपत्र में आरोप-पत्र गठित कर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत उनसे विभागीय पत्रांक-336 (एस) दिनांक 16.01.2026 के द्वारा लिखित अभिकथन की मांग की गयी। श्री भारती के विरुद्ध गठित आरोप का बिन्दु निम्नलिखित है :-

- (i) कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, लखीसराय का प्रतिवेदन पत्रांक-595 (अनु०) दिनांक 07.05.2025, जो मुख्य अभियंता, दक्षिण के पत्रांक-1931 (अनु०) दिनांक 09.06.2025 से विभाग को प्राप्त हुआ है, में प्रतिवेदित है कि IRQP Cum Output & Performance based road asset maintenance of Jamalpur-Dharhara-Kajra Road (From Piribazar to Basauni) Length 7.55 km for the year 2015-16 के कार्यों का DLP की अवधि के समाप्ति के पूर्व Price Escalation गणना/समायोजन किये बिना SD राशि का भुगतान निम्नवत किया गया :-

क्र०सं०	SD Refund की राशि	SD Refund की तिथि
1	3969616	18.06.2018
2	5136116	05.01.2021
3	2803116	01.03.2023

- (ii) SD राशि के उक्त भुगतान में प्रथम Refund को छोड़कर शेष दोनों भुगतान में CMBD Clause-C41 के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके कारण संवेदक को Excess SD Refund हुआ। श्री संजय कुमार भारती, तदेन कार्यपालक अभियंता तीसरे SD Refund से संबंधित है तथा उनके लापरवाही एवं गलत मंशा के कारण संवेदक को तीसरा Excess SD Refund हुआ।

2. श्री भारती ने पत्रांक-212 अनु०, दिनांक 19.01.2026 के द्वारा अपना लिखित अभिकथन समर्पित किया, जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया है कि आलोच्य कार्य उनके पदस्थापन के पूर्व वर्ष 2014-15 में पूर्ण हो चुका था। इस कार्य में संवेदक का कुल रुपये 79,39,223/-SD के रूप में कटौती की गयी थी। दिनांक 18.06.2018 को तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा संवेदक को जमानत की राशि का 50 प्रतिशत राशि वापस की गयी, परन्तु इसका उल्लेख उनके द्वारा रोकड़ पंजी में नहीं किया गया, जिसके कारण श्री भारती से पूर्ववर्ती कार्यपालक अभियंता के द्वारा दिनांक 05.01.2021 को रुपये 51,36,116/-संवेदक के अनुरोध पर वापस कर दिया गया। निश्चित रूप से इसका कारण संवेदक एवं SD की प्रथम किस्त वापस किये जाने के बावजूद रोकड़पंजी में अंकित नहीं किया जाना है।

2.1 श्री भारती ने अंकित किया है कि उनके पदस्थापन के बाद उनके समक्ष यह तथ्य प्रस्तुत किया गया कि पूर्व में SD के राशि में से मात्र रुपये 51,36,116/- वापस किया गया है, जिसके आलोक में उनके द्वारा शेष राशि रुपये 28,03,116/- संवेदक के अनुरोध पर वापस कर दिया गया। यह तथ्य बाद में उजागर हुआ कि संवेदक को SD के राशि में से रुपये 39,69,616/- पूर्व में ही वापस कर दिया गया है एवं इसका उल्लेख रोकड़पंजी में नहीं किया गया। प्रथम कार्यपालक अभियंता, रोकड़पाल एवं संवेदक के गलती के कारण बाद के पदाधिकारियों द्वारा शेष SD राशि को वापस करने के लिए विवश होना पड़ा। इस मामले में भुगतान के समय तत्कालीन कार्यपालक अभियंता श्री राजेन्द्र माँझी ने Cash Book को घेरकर Refunded नहीं लिखा। फलतः तत्कालीन रोकड़पाल श्री महेश्वर प्रसाद एवं तत्कालीन लेखा पदाधिकारी श्री रामेश्वर प्रसाद के द्वारा बिना जाँचे परखे उपस्थापित संचिका में मेरे पूर्ववर्ती एवं मेरे द्वारा गलतफहमी में भुगतान किया गया। इस पूरी प्रक्रिया में तत्कालीन रोकड़पाल, तत्कालीन लेखा पदाधिकारी तथा संवेदक का मिलीभगत नजर आता है न कि मेरा।

श्री भारती ने अंकित किया है कि इस मामले में संवेदक को जो अधिक राशि रुपये 39,69,616/- का भुगतान हुआ था, दिनांक 29.12.2025 को कार्यपालक अभियंता, लखीसराय को वापस कर दिया गया है। राशि वापस हो जाने के बाद कोई वित्तीय क्षति का मामला नहीं बनता है।

3. श्री भारती के बचाव बयान की समीक्षा किया गया। उन्होंने यह तर्क दिया है कि 50 प्रतिशत रिफंड का उल्लेख तदेन कार्यपालक अभियंता द्वारा रोकड़पंजी में नहीं किया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी अंकित किया है कि इसे Cash Book में घेरकर Refunded अंकित नहीं किया गया, जिससे अग्रेतर Refund में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हुई।

3.1 कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल लखीसराय का एतद् संबंधी प्रतिवेदन पत्रांक-595 अनु०, दिनांक 07.05.2025 एवं श्री भारती के द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्य में Cash Book की छायाप्रति संलग्न है, जिसके अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या उपरोक्त कथन का स्पष्ट रूप से समर्थन नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसी तथ्य का अंकन कार्यपालक अभियंता को समर्पित श्री धनंजय कुमार, प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी के स्पष्टीकरण उत्तर में भी किया गया है।

3.2 प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी के स्पष्टीकरण उत्तर से स्पष्ट होता है कि SD Refund के दूसरे किस्त की भुगतान के लिए दूसरी संचिका उपस्थापित की गयी थी तथा इसमें प्रथम Refund की कोई जानकारी नहीं थी। इसी दौरान तृतीय Refund के समय जो संचिका उपस्थापित की गयी, उसमें सिर्फ द्वितीय Refund की जानकारी थी तथा प्रथम Refund की जानकारी छुपाया गया था। नव प्रवृत्त CFMS में प्रथम Refund की प्रविष्टि भी नहीं की गयी थी। स्वभाविक रूप से श्री भारती के द्वारा द्वितीय Refund के आधार पर तृतीय Refund किया गया।

3.3 उपर्युक्त तथ्यों के बावजूद आरोप संबंधी यह तथ्य सही है कि तृतीय Excess SD Refund में CMBD की Clause C-41 का उल्लंघन हुआ है। श्री भारती के समक्ष भुगतान हेतु उपस्थापित संचिका में उनके द्वारा पूर्व में हुए भुगतानों का बिना जाँच-परख किये, Refund किया गया, जो उनके विहित कर्तव्य एवं दायित्वों के प्रति कोताही का परिचायक है।

4. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रमाणित पाये गये आरोप के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या-2667 (एस) सहपठित ज्ञापांक-2668 (एस) दिनांक-13.04.2026 द्वारा श्री संजय कुमार भारती, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल लखीसराय सम्प्रति प्रभारी मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14 (II) के तहत उनके सेवानिवृत्ति की तिथि तक प्रोन्नति पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया।

5. विभागीय अधिसूचना संख्या-2667 (एस) सहपठित ज्ञापांक-2668 (एस) दिनांक-13.04.2026 द्वारा अधिसूचित दण्डादेश के विरुद्ध श्री संजय कुमार भारती, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल लखीसराय सम्प्रति प्रभारी मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1268 अनु० दिनांक-15.04.2026 द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

6. श्री भारती के द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन के विभागीय समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री भारती के द्वारा Malafide Intention से Excess SD Refund नहीं किया गया है। साथ ही कथित Excess SD की राशि संवेदक द्वारा वापस भी कर दिया गया है, इसलिए आलोच्य मामले में कोई वित्तीय क्षति नहीं हुई है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में श्री संजय कुमार भारती, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल लखीसराय सम्प्रति प्रभारी मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को स्वीकृत करते हुए श्री भारती के विरुद्ध विभागीय अधिसूचना संख्या-2667 (एस) सहपठित ज्ञापांक-2668 (एस) दिनांक-13.04.2026 के द्वारा संसूचित दण्डादेश को निरस्त किया जाता है।

7. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप सचिव।

22 जुलाई 2026

सं० निग/सारा-04 (पथ)आरोप-36/2026-5123(S)—पथ प्रमंडल, बाँका अंतर्गत विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला, 2026 को दिनांक-30.07.2026 से प्रारम्भ होने के आलोक में इस मेला से संबंधित सभी सड़कों का विभिन्न तिथियों में जिला पदाधिकारी, बाँका के द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। साथ ही समाचार पत्रों में लगातार प्रकाशित हो रही नकारात्मक खबरों एवं अनुमंडल पदाधिकारी, बाँका के पत्रांक-1868(गो०) दिनांक-11.07.2026 एवं पत्रांक-1981(गो०) दिनांक-21.07.2026 के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि इस अत्यन्त महत्वपूर्ण आयोजन में समयबद्ध राजकीय प्रतिबद्धता के बावजूद सड़कों की मरम्मत का कार्य ससमय पूर्ण नहीं किया गया।

2. उल्लेखनीय है कि जिला पदाधिकारी, बाँका के द्वारा विभिन्न समीक्षात्मक बैठकों के दौरान कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बाँका को जिलान्तर्गत मेले से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सड़कों को ससमय यातायात योग्य बनाने हेतु स्पष्ट निर्देश दिये गये थे। उपर्युक्त निरीक्षण में पायी गयी अनियमितता के आलोक में जिला पदाधिकारी के पत्रांक-1122(गो०) दिनांक-18.07.2026 द्वारा श्री संजीव कुमार सिंह से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जो जिला पदाधिकारी के द्वारा विभाग को समर्पित किये गये एतद् संबंधित प्रतिवेदन के तिथि-21.07.2026 तक अप्राप्त है।

3. श्री सिंह का उक्त कृत्य उनके घोर प्रशासनिक शिथिलता, कर्तव्यहीनता एवं वरीय पदाधिकारी के आदेशों का अवहेलना को दर्शाता है। अतः श्री संजीव कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बाँका को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9 (1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

4. निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, पूर्णियाँ का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

5. निलंबन अवधि के दौरान श्री सिंह को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-10 के अध्याधीन शर्तों के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

6. इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ करने हेतु नियमानुसार अलग से आरोप पत्र निर्गत किया जायेगा।
7. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप सचिव।

27 जुलाई 2026

सं० निग/सारा-1 (पथ)-आरोप-48/2017-5233(S)--श्री भगवान राम, तत्कालीन वरीय परियोजना अभियंता (कार्यपालक अभियंता) बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० सम्प्रति सेवानिवृत्त के कार्य प्रमंडल, भागलपुर के पदस्थान अवधि में पथ प्रमंडल, लखीसराय पदस्थापन अवधि में जमुई जिलान्तर्गत खैरा-सोन्हों (NH-333A) के कि०मी० 02 एवं 10 में क्रमशः क्यूल नदी पर अवस्थित नरियाना पुल एवं सुकनर नदी पर अवस्थित मांगोबंदर पुल के अल्प समय में क्षतिग्रस्त हो जाने के संबंध में तकनीकी परीक्षण कोषांग, निगरानी विभाग से जाँच कराई गई। निगरानी विभाग के पत्रांक-1012 (अनु०) दिनांक-20.03.2020 के द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन विभागयी कार्यालय आदेश सं०-60 दिनांक-04.06.2020 के द्वारा गठित त्रिसदस्यीय समिति के द्वारा की गयी। समिति के द्वारा दोनों पुलों का स्थल निरीक्षण करते हुए अपना प्रतिवेदन समर्पित किया। प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-926 (एस) दिनांक-21.02.2023 के द्वारा श्री राम के विरुद्ध आरोप-पत्र गठित करते हुए स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री राम के विरुद्ध गठित आरोप के बिन्दु निम्नवत् हैं:-

- (i) विभाग द्वारा गठित समिति में दिनांक-25.06.2020 के स्थल निरीक्षण के क्रम में दोनों पुलों के Girder के Bottom में Honey Comb पाया गया। स्पष्ट है कि बतौर वरीय परियोजना अभियंता श्री राम के द्वारा Supervision में चूक की गई, जिससे कार्य का Workmanship प्रभावित हुआ, जो इतने बड़े घटना का जनक बना। इसके लिए श्री राम से विभागीय पत्रांक-6858 (एस) दिनांक-11.12.2020 के द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गई। श्री राम ने पत्रांक-1294 (अनु०) दिनांक-18.12.2020 के द्वारा अपना स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित किया, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से उल्लेख किया है कि वरीय परियोजना अभियंता के रूप में उनके पास अत्यधिक कार्यबोझ था, जिससे ढलाई के वक्त स्थल पर स्वयं उपस्थित होकर ढलाई कराना संभव नहीं था। विभागीय समीक्षा के क्रम में श्री राम का यह तर्क इतने महत्वपूर्ण परियोजना को देखते हुए स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।
- (ii) विभाग द्वारा गठित समिति के प्रतिवेदन के अनुसार MoRTH का वर्ष 1978 के निरूपण के अनुसार Girder का Bottom width 550mm मात्र है एवं इसमें 28dia-24Nos छड़ का प्रावधान चार Layer में यथा 28dia-8Nos का दो Layer एवं 28dia-4Nos का भी दो layer छड़ का प्रावधान रहने के कारण थोड़ी सी असावधानी भी Concrete में Honeycomb का कारण बन सकता है। इस तथ्य से भली-भाँति अवगत रहने के बावजूद भी कार्य के दौरान बतौर वरीय परियोजना अभियंता श्री राम ने अपना पर्यवेक्षणीय दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यह एक गंभी चूक है, जो सरकारी राजस्व के हानि के साथ जान-माल के क्षति के लिए भी उत्तरदायी है। श्री राम के पर्यवेक्षण के अभाव में संवेदक को Workmanship में गड़बड़ी का अवसर प्राप्त हुआ।

2. उक्त गठित आरोपों के लिए श्री राम के द्वारा अपने अभ्यावेदन दिनांक-05.04.2023 के द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। प्राप्त स्पष्टीकरण के विभागीय समीक्षोपरांत श्री राम का अभ्यावेदन अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय संकल्प संख्या-310 (एस) दिनांक-14.01.2025 के द्वारा जाँच आयुक्त-सह-संचालन पदाधिकारी के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. जाँच आयुक्त-सह-सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन श्री राम के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही संख्या-01/2025 में जाँच आयुक्त के द्वारा पत्रांक-28/सं०को०अनु० दिनांक-09.12.2025 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्रेषित किया गया, जिसमें निष्कर्ष के तहत श्री राम के विरुद्ध गठित आरोप को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। संचालन पदाधिकारी के द्वारा आरोपी के विरुद्ध गठित आरोप, उनके द्वारा समर्पित बचाव-बयान, साक्ष्य के रूप में संलग्न किये गये अभिलेखों

तथा गवाहों के परीक्षण/प्रतिपरीक्षण के सूक्ष्म अवलोकन के उपरांत मुख्य रूप से निम्न तथ्यों/तर्कों के आधार पर गठित आरोप को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है:-

- (i) आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध दो पुलों के निर्माण में आरोपित किया गया है। संलग्न साक्ष्य से स्पष्ट है कि एक पुल खैरा-सोन्हों पथ (NH-333A) के कि०मी० 2.00 पर अवस्थित नरियाना पुल के निर्माण की अवधि में आरोपित पदाधिकारी पदस्थापित नहीं रहे है।
- (ii) दूसरे पुल खैरा-सोन्हों पथ (NH-333A) के कि०मी० 10.00 के सुकनर नदी पर अवस्थित माँगोबंदर पुल के मामले में विभागीय आरोप के साथ संलग्न तकनीकी परीक्षक कोषांग के जाँच प्रतिवेदन तथा विभागीय जाँच प्रतिवेदन में मुख्य रूप से Girder के Fail होने का निम्न कारण बताया गया है:-

- (a) Failure of girder in tension
- (b) Stagnant Loading
- (c) Deficient Design of Super Structure

(iii) तकनीकी परीक्षक कोषांग के जाँच प्रतिवेदन में अंकित उक्त तथ्यों से उपस्थित गवाहों द्वारा भी कोई असहमति व्यक्त नहीं की गयी। उपरोक्त वर्णित तीनों कारण में आरोपित पदाधिकारी की कोई सहभागिता संलग्न साक्ष्य में परिलक्षित नहीं होता है। इससे स्पष्ट है कि विभागीय समीक्षा में आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध गठित आरोप निराधार हैं। अतएव आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध दोनों आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोपी श्री राम के द्वारा दिनांक-11.07.2010 को संबंधित प्रमंडल का प्रभार ग्रहण किया गया, जबकि जाँच प्रतिवेदन के अनुसार कथित दो पुलों में से एक पुल यथा नरियाना पुल के कार्य समाप्ति की तिथि 04.05.2010 है। इस प्रकार स्पष्ट होता है, कि नरियाना पुल के निर्माण कार्य की अवधि में श्री राम संबंधित प्रमंडल में पदस्थापित नहीं थे। साथ ही जाँच आयुक्त के द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में आलोच्य दोनों पुलों के Girder के Fail होने के संबंध में जो तथ्य अंकित किये गये हैं, उसकी साक्ष्यगत पुष्टि निगरानी विभाग के तकनीकी परीक्षक कोषांग के जाँच प्रतिवेदन से होती है। अतएव संचालन पदाधिकारी के द्वारा गठित किया गया निष्कर्ष/अभिमत साक्ष्यगत है।

5. अतएव उपर्युक्त समीक्षा के आलोक में सम्यक विचारोपरांत श्री राम के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में जाँच आयुक्त-सह-संचालन पदाधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन साक्ष्यगत पाये जाने की स्थिति में इससे सहमत होते हुए श्री भगवान राम, तत्कालीन वरीय परियोजना अभियंता (कार्यपालक अभियंता), बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० सम्प्रति सेवानिवृत्त को आरोप मुक्त किया जाता है।

4. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप सचिव।

सकारण मुखर आदेश
28 जुलाई 2026

सं० निग/सारा- (न०वि०) आरोप-11/2020-5269(S)--नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक-736 दिनांक 10.02.2020 में उल्लेख है कि गृह विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-1073, दिनांक-31.01.2020 द्वारा पटना शहर में जल-जमाव के लिए गठित उच्च स्तरीय जाँच समिति के प्रतिवेदन के आलोक में दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने हेतु पत्र प्राप्त हुआ। इस उच्च स्तरीय जाँच समिति के प्रतिवेदन में पथ निर्माण विभाग से बुडको में प्रतिनियुक्त श्री योगेन्द्र कुमार, कार्यपालक अभियंता, बुडको, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना एवं अन्य अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की गयी। नगर विकास एवं आवास विभाग के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि श्री योगेन्द्र कुमार के विरुद्ध निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही करने का निदेश सक्षम प्राधिकार द्वारा प्राप्त है।

2. तदालोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-1242 (एस)-सहपठित ज्ञापांक-1243 (एस), दिनांक 14.02.2020 द्वारा श्री योगेन्द्र कुमार, कार्यपालक अभियंता, बुडको, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 का नियम-9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

3. श्री कुमार को निलंबित किये हुए 10 माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद नगर विकास एवं आवास विभाग से उनके विरुद्ध संशोधित आरोप-पत्र प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप सम्यक विचारोपरांत श्री योगेन्द्र कुमार, कार्यपालक अभियंता, बुडको, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 9 (7) में निहित प्रावधान के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-573-सहपठित ज्ञापांक-574, दिनांक 27.01.2021 के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया गया।

4. नगर विकास एवं आवास विभाग से प्राप्त संशोधित आरोप पत्र एवं अनुशंसा के आलोक में श्री कुमार के विरुद्ध विभाग स्तर से आरोप पत्र गठित करते हुए सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-609 (एस) दिनांक 28.01.2021 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी। श्री कुमार के विरुद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-21574, दिनांक-20.11.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में अंकित निष्कर्ष के विभागीय समीक्षोपरांत सहमत होते हुए आंशिक रूप से प्रमाणित आरोप के लिए श्री कुमार से विभागीय पत्रांक-386 (एस) अनु० दिनांक 20.01.2026 द्वारा बचाव का लिखित अभ्यावेदन/निवेदन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री कुमार ने अपने पत्रांक-शून्य, दिनांक 29.01.2026 द्वारा अपना लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

5. श्री कुमार द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन के विभागीय समीक्षोपरांत यह पाया गया कि वर्ष 2019 में पटना शहर में हुई जल-जमाव की समस्या एक प्राकृतिक आपदा थी एवं जल-जमाव से विभिन्न प्रकार की सेवाएँ यथा-विद्युत आपूर्ति आदि बाधित हुई, जिससे कई सम्प हाऊस जल-जमाव के बाद क्रियाशील नहीं हो पायी। अतएव यह घटना प्राकृतिक आपदा

जनित एवं परिस्थितिजन्य रही है। पटना जल-जमाव के मामले में उक्त परिस्थिति को देखते हुए सदृश्य मामले में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कतिपय कार्यपालक पदाधिकारियों को आरोप मुक्त किया गया है।

6. अतः प्राकृतिक अतिवृष्टि एवं सदृश्य मामले में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लिये गये निर्णय एवं आरोप पत्र में अंकित आरोप की समानता होने को दृष्टिपथ रखते हुए सम्यक विचारोपरांत श्री योगेन्द्र कुमार, कार्यपालक अभियंता, बुडको, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को आरोप मुक्त किया जाता है।

7. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप सचिव।

28 जुलाई 2026

सं० निग/सारा-(न०वि०) आरोप-11/2020-5273(S)--नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक-736 दिनांक 10.02.2020 में उल्लेख है कि गृह विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-1073, दिनांक-31.01.2020 द्वारा पटना शहर में जल-जमाव के लिए गठित उच्च स्तरीय जाँच समिति के प्रतिवेदन के आलोक में दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने हेतु पत्र प्राप्त हुआ। इस उच्च स्तरीय जाँच समिति के प्रतिवेदन में पथ निर्माण विभाग से बुडको में प्रतिनियुक्त श्री सूर्यकान्त, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता-सह-प्रभारी अधीक्षण अभियंता, बुडको, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त एवं अन्य अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की गयी। नगर विकास एवं आवास विभाग के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि श्री सूर्यकान्त के विरुद्ध निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही करने का निदेश सक्षम प्राधिकार द्वारा प्राप्त है।

2. तदालोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-1244 (एस)-सहपठित ज्ञापांक-1245 (एस), दिनांक 14.02.2020 द्वारा श्री सूर्यकान्त, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता-सह-प्रभारी अधीक्षण अभियंता, बुडको, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 का नियम-9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

3. श्री सूर्यकान्त को निलंबित किये हुए 10 माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद नगर विकास एवं आवास विभाग से उनके विरुद्ध संशोधित आरोप-पत्र प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप सम्यक विचारोपरांत श्री सूर्यकान्त, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता-सह-प्रभारी अधीक्षण अभियंता, बुडको, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 9 (7) में निहित प्रावधान के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-571-सहपठित ज्ञापांक-572, दिनांक 27.01.2021 के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया गया।

4. नगर विकास एवं आवास विभाग से प्राप्त संशोधित आरोप पत्र एवं अनुशंसा के आलोक में श्री सूर्यकान्त के विरुद्ध विभाग स्तर से आरोप पत्र गठित करते हुए सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-611 (एस) दिनांक 28.01.2021 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी। श्री सूर्यकान्त के विरुद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-21576, दिनांक-20.11.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में अंकित निष्कर्ष के विभागीय समीक्षोपरांत सहमत होते हुए आंशिक रूप से प्रमाणित आरोप के लिए श्री सूर्यकान्त से विभागीय पत्रांक-384 (एस) अनु० दिनांक 20.01.2026 द्वारा बचाव का लिखित अभ्यावेदन/निवेदन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री सूर्यकान्त ने अपने पत्रांक-शून्य, दिनांक 26.02.2026 द्वारा अपना लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

5. श्री सूर्यकान्त द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन के विभागीय समीक्षोपरांत यह पाया गया कि वर्ष 2019 में पटना शहर में हुई जल-जमाव की समस्या एक प्राकृतिक आपदा थी एवं जल-जमाव से विभिन्न प्रकार की सेवाएँ यथा-विद्युत आपूर्ति आदि बाधित हुई, जिससे कई सम्प हाऊस जल-जमाव के बाद क्रियाशील नहीं हो पायी। अतएव यह घटना प्राकृतिक आपदा जनित एवं परिस्थितिजन्य रही है। पटना जल-जमाव के मामले में उक्त परिस्थिति को देखते हुए सदृश्य मामले में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कतिपय कार्यपालक पदाधिकारियों को आरोप मुक्त किया गया है।

6. अतः प्राकृतिक अतिवृष्टि एवं सदृश्य मामले में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लिये गये निर्णय एवं आरोप पत्र में अंकित आरोप की समानता होने को दृष्टिपथ रखते हुए सम्यक विचारोपरांत श्री सूर्यकान्त, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता-सह-प्रभारी अधीक्षण अभियंता, बुडको, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त को आरोप मुक्त किया जाता है।

7. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप सचिव।

28 जुलाई 2026

सं० निग/सारा-(न०वि०) आरोप-11/2020-5275(S)--नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक-736 दिनांक 10.02.2020 में उल्लेख है कि गृह विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-1073, दिनांक-31.01.2020 द्वारा पटना शहर में जल-जमाव के लिए गठित उच्च स्तरीय जाँच समिति के प्रतिवेदन के आलोक में दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने हेतु पत्र प्राप्त हुआ। इस उच्च स्तरीय जाँच समिति के प्रतिवेदन में पथ निर्माण विभाग से बुडको में प्रतिनियुक्त श्री संजीव चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बुडको, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त एवं अन्य अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की गयी। नगर विकास एवं आवास विभाग के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि श्री संजीव चौधरी के विरुद्ध निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही करने का निदेश सक्षम प्राधिकार द्वारा प्राप्त है।

2. तदालोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-1246 (एस)-सहपठित ज्ञापांक-1247 (एस), दिनांक 14.02.2020 द्वारा श्री संजीव चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बुडको, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 का नियम-9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

3. श्री चौधरी को निलंबित किये हुए 10 माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद नगर विकास एवं आवास विभाग से उनके विरुद्ध संशोधित आरोप-पत्र प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप सम्यक विचारोपरांत श्री संजीव चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बुडको, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 9 (7) में निहित प्रावधान के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-575-सहपठित ज्ञापांक-576, दिनांक 27.01.2021 के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया गया।

4. नगर विकास एवं आवास विभाग से प्राप्त संशोधित आरोप पत्र एवं अनुशंसा के आलोक में श्री चौधरी के विरुद्ध विभाग स्तर से आरोप पत्र गठित करते हुए सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-607 (एस) दिनांक 28.01.2021 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी। श्री चौधरी के विरुद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-1061, दिनांक-14.01.2026 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में अंकित निष्कर्ष के विभागीय समीक्षोपरांत सहमत होते हुए प्रमाणित आरोप के लिए श्री चौधरी से विभागीय पत्रांक-1400 (एस) अनु० दिनांक 16.02.2026 द्वारा बचाव का लिखित अभ्यावेदन/निवेदन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री चौधरी ने अपने पत्रांक-शून्य, दिनांक 01.04.2026 द्वारा अपना लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

5. श्री चौधरी द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन के विभागीय समीक्षोपरांत यह पाया गया कि वर्ष 2019 में पटना शहर में हुई जल-जमाव की समस्या एक प्राकृतिक आपदा थी एवं जल-जमाव से विभिन्न प्रकार की सेवाएँ यथा-विद्युत आपूर्ति आदि बाधित हुई, जिससे कई सम्प हाऊस जल-जमाव के बाद क्रियाशील नहीं हो पायी। अतएव यह घटना प्राकृतिक आपदा जनित एवं परिस्थितिजन्य रही है। पटना जल-जमाव के मामले में उक्त परिस्थिति को देखते हुए सदृश्य मामले में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कतिपय कार्यपालक पदाधिकारियों को आरोप मुक्त किया गया है।

6. अतः प्राकृतिक अतिवृष्टि एवं सदृश्य मामले में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लिये गये निर्णय एवं आरोप पत्र में अंकित आरोप की समानता होने को दृष्टिपथ रखते हुए सम्यक विचारोपरांत श्री संजीव चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बुडको, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त को आरोप मुक्त किया जाता है।

7. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप सचिव।

5 अगस्त 2026

सं० निग/सारा-04 (पथ) आरोप-67/2025-5463(S)--माननीय मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल, शिवहर अंतर्गत घोषित योजनाओं की प्रगति के संबंध में तत्कालीन सचिव, पथ निर्माण विभाग द्वारा की गयी समीक्षा में पाया गया कि शिवहर-मीनापुर-कांटी पथ परियोजना का दिनांक-16.07.2025 को L.O.A. (Letter of acceptance) निर्गत किया गया है। E.P.C. Mode के तहत L.O.A. निर्गत होने के 30 दिनों के अंदर एकरारनामा किये जाने का प्रावधान है, किन्तु निर्धारित अवधि के अंतर्गत एकरारनामा नहीं किया गया है। इस आरोप के लिए श्री प्रदीप कुमार झा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, शिवहर को विभागीय अधिसूचना संख्या-175(एस)-सह-पठित ज्ञापांक-176(एस) दिनांक-08.01.2026 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया एवं उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया।

2. निलंबन के उपरांत श्री झा के विरुद्ध आरोप पत्र गठित करने की कार्रवाई की जा रही थी। इसी बीच उक्त निलंबनादेश के विरुद्ध श्री झा के पत्रांक-01 दिनांक-27.01.2026 द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा आलोच्य पथ के एकरारनामा करने एवं क्रियान्वयन में हुए विलम्ब के लिए स्वयं को निर्दोष बताते हुए निलंबन से मुक्त करने का अनुरोध किया गया। अपील अभ्यावेदन पर अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन) का मंतव्य प्राप्त करते हुए मामले की

समेकित रूप से समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि यद्यपि E.P.C के नियमों के अनुसार निर्धारित 30 दिनों की अवधि के भीतर एकरारनामा सम्पादित नहीं किया गया है, तथापि इसका मुख्य कारण संवेदक द्वारा अपेक्षित सहयोग प्रदान नहीं किया जाना रहा है, जिसके फलस्वरूप एकरारनामा ससमय सम्पादित नहीं हो सका है। विलम्ब से एकरारनामा करने के लिए श्री झा का कोई दोष परिलक्षित नहीं होता है।

3. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत श्री प्रदीप कुमार झा, कार्यपालक अभियंता सम्प्रति निलंबित को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है। उनके निलंबन अवधि को पूर्ण वेतन एवं भत्तों के साथ कर्तव्य अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है। बशर्ते कि निलंबन अवधि के दौरान श्री झा को भुगतान किये जा चुके जीवन निर्वाह भत्ता एवं अन्य भत्तों का समायोजन करते हुए वेतनादि का भुगतान कर लिया जायेगा।

4. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप सचिव।

28 जुलाई 2026

सं० निग/सारा- (न०वि०) आरोप-11/2020-5278(S)--नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक-736 दिनांक 10.02.2020 में उल्लेख है कि गृह विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-1073, दिनांक-31.01.2020 द्वारा पटना शहर में जल-जमाव के लिए गठित उच्च स्तरीय जाँच समिति के प्रतिवेदन के आलोक में दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने हेतु पत्र प्राप्त हुआ। इस उच्च स्तरीय जाँच समिति के प्रतिवेदन में पथ निर्माण विभाग से बुडको में प्रतिनियुक्त श्री ओमप्रकाश सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, बुडको, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त एवं अन्य अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की गयी। नगर विकास एवं आवास विभाग के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि श्री ओमप्रकाश सिंह के विरुद्ध निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही करने का निदेश सक्षम प्राधिकार द्वारा प्राप्त है।

2. तदालोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-1238 (एस)-सहपठित ज्ञापांक-1239 (एस), दिनांक 14.02.2020 द्वारा श्री ओमप्रकाश सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, बुडको, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 का नियम-9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

3. श्री सिंह को निलंबित किये हुए 10 माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद नगर विकास एवं आवास विभाग से उनके विरुद्ध संशोधित आरोप-पत्र प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप सम्यक् विचारोपरांत श्री ओमप्रकाश सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, बुडको, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 9 (7) में निहित प्रावधान के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-569-सहपठित ज्ञापांक-570, दिनांक 27.01.2021 के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया गया।

4. नगर विकास एवं आवास विभाग से प्राप्त संशोधित आरोप पत्र एवं अनुशंसा के आलोक में श्री सिंह के विरुद्ध विभाग स्तर से आरोप पत्र गठित करते हुए सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-608 (एस) दिनांक 28.01.2021 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी। श्री सिंह के विरुद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-21575, दिनांक-20.11.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में अंकित निष्कर्ष के विभागीय समीक्षोपरांत सहमत होते हुए प्रमाणित आरोप के लिए श्री सिंह से विभागीय पत्रांक-385 (एस) अनु० दिनांक 20.01.2026 द्वारा बचाव का लिखित अभ्यावेदन/निवेदन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री सिंह ने अपने पत्रांक-शून्य, दिनांक 04.02.2026 द्वारा अपना लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

5. श्री सिंह द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन के विभागीय समीक्षोपरांत यह पाया गया कि वर्ष 2019 में पटना शहर में हुई जल-जमाव की समस्या एक प्राकृतिक आपदा थी एवं जल-जमाव से विभिन्न प्रकार की सेवाएँ यथा-विद्युत आपूर्ति आदि बाधित हुई, जिससे कई सम्प हाऊस जल-जमाव के बाद क्रियाशील नहीं हो पायी। अतएव यह घटना प्राकृतिक आपदा जनित एवं परिस्थितिजन्य रही है। पटना जल-जमाव के मामले में उक्त परिस्थिति को देखते हुए सदृश्य मामले में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कतिपय कार्यपालक पदाधिकारियों को आरोप मुक्त किया गया है।

6. अतः प्राकृतिक अतिवृष्टि एवं सदृश्य मामले में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लिये गये निर्णय एवं आरोप पत्र में अंकित आरोप की समानता होने को दृष्टिपथ रखते हुए सम्यक् विचारोपरांत श्री ओमप्रकाश सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, बुडको, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त को आरोप मुक्त किया जाता है।

7. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप सचिव।

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचनाएं

28 जुलाई 2026

सं० 1/पी०-2001/2022(खंड)-सा०प्र०-13657—डॉ. बी. राजेन्द्र, भा.प्र.से. (बी एच: 1995), अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—अपर मुख्य सचिव, जन शिकायत, सामान्य प्रशासन विभाग/मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना/महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान—बिपार्ड/अपर मुख्य सचिव, निगरानी विभाग) को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक—36/01/2026-EO(SM-I) दिनांक 23.07.2026 द्वारा दिनांक 01.08.2026 के प्रभाव से निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी (सचिव स्तर) के पद पर नियुक्त किया गया है।

2. संदर्भगत नियुक्ति के आलोक में डॉ. बी. राजेन्द्र, भा.प्र.से. (बी एच: 1995) को दिनांक 29.07.2026 के प्रभाव से नवपदस्थापन पर योगदान देने हेतु विरमित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

28 जुलाई 2026

सं० 1/पी०-2004/2026—सा०प्र०-13658—श्री दिवेश सेहरा, भा.प्र.से.(बी एच: 2005), सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग) को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक—33/13/2026-EO(SM-I) दिनांक 24.07.2026 द्वारा संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं, भारत सरकार, नई दिल्ली के पद पर नियुक्त किया गया है।

2. प्रासंगिक नियुक्ति के आलोक में श्री दिवेश सेहरा, भा.प्र.से.(बी एच: 2005) को तत्काल प्रभाव से नवपदस्थापन पर योगदान देने हेतु विरमित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

31 जुलाई 2026

सं० 1/पी०-1001/2026—सा०प्र०-13976—श्री अभय कुमार सिंह, भा.प्र.से.(2004), सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—सचिव, सूचना प्रावधिकी विभाग) अगले आदेश तक सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

27 जुलाई 2026

सं० 1/पी०-1003/2013—सा०प्र०-13624—श्री राजीव रौशन, भा.प्र.से. (बी एच: 2010), सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—सचिव (संसाधन), वित्त विभाग/सचिव, शिक्षा विभाग—बांकीपुर विधान सभा क्षेत्र में निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक) को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-05, 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 25.07.2026 से 26.07.2026 के साप्ताहिक अवकाशों का पूर्व लग्न (प्रीफिक्स) एवं दिनांक 08.08.2026 एवं 09.08.2026 के साप्ताहिक अवकाशों का पश्च लग्न (साफिक्स) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 27.07.2026 से 07.08.2026 तक कुल 12 (बारह) दिनों की उपाजित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

24 जुलाई 2026

सं० 1/पी०-2010/2026—सा०प्र०-13426—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक—23/2/2026—ईओ(एम एम-I) दिनांक 16.07.2026 के आलोक में श्री प्रशांत कुमार सी.एच., भा.प्र.से. (बी एच:2015), अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/ परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना) की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के तहत माननीय केन्द्रीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (श्री भूपेन्द्र यादव) का निजी सचिव (उप

सचिव स्तर) के रूप में अधिसूचित हुई नियुक्त के अनुसार विभागीय अधिसूचना संख्या—13232 दिनांक 22.07.2026 से उन्हें तत्काल प्रभाव से नवपदस्थापन पर योगदान देने हेतु विरमित किया गया था।

2. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक—23/2/2026—EO(MM—I) दिनांक 23.07.2026 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या—13232 दिनांक 22.07.2026 को निरस्त करते हुए श्री प्रशांत कुमार सी.एच. भा.प्र.से. (बी एच : 2015) को नवनियुक्ति से संबंधित पद का प्रभार ग्रहण किए जाने हेतु दिनांक 24.07.2026 के प्रभाव से विरमित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

23 जुलाई 2026

सं० 1/पी०—1004/2025—सा०प्र०—13397—विभागीय कार्यवाहियों के लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु भा.प्र.से. के निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके द्वारा सम्प्रति धारित पद/प्रभारों के साथ जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का अतिरिक्त प्रभार भी दिया जाता है:—

क्र.	पदाधिकारी का नाम एवं बैच	वर्तमान धारित पद/अतिरिक्त प्रभार
1	श्री संदीप कुमार आर. पुडकलकट्टी (2006)	सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—प्रबंध निदेशक, पटना मेट्रो रेल निगम लिमिटेड, पटना/सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, महादलित विकास मिशन, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, पटना)
2	श्री कौशल किशोर (2010)	सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार— प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड—बेल्ट्रॉन)

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

23 जुलाई 2026

सं० 1/अ०—1005/2021—सा०प्र०—13385—श्री निखिल धनराज निष्पणीकर, भा.प्र.से. (बी एच: 2018), जिला पदाधिकारी, मुंगेर को निजी कार्य से राज्य से बाहर कर्नाटक जाने हेतु अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली—1955 के नियम—10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 18.07.2026 से 23.07.2026 तक कुल 06 (छः) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री निष्पणीकर की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के अतिरिक्त प्रभार में श्री मनोज कुमार, अपर समाहर्ता, मुंगेर रहेंगे।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

22 जुलाई 2026

सं० 1/अ०—1012/2016—सा०प्र०—13331—श्रीमती जे. प्रियदर्शिनी, भा.प्र.से. (2015), (सम्प्रति—उपार्जित/अर्द्धवैतनिक छुट्टी पर) को विभागीय अधिसूचना संख्या—1/अ०—1012/2016—22970 दिनांक 10.12.2025 के माध्यम से वैयक्तिक व्यय पर संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) की निजी विदेश यात्रा हेतु दिनांक 10.12.2025 से 09.03.2026 तक कुल 90 (नब्बे) दिनों की उपार्जित छुट्टी की एक्स—इंडिया लीव के रूप में स्वीकृति प्रदत्त थी। तत्पश्चात् उनके आवेदन के आलोक में एक्स—इंडिया लीव के रूप में स्वीकृत उक्त उपार्जित छुट्टी को विभागीय अधिसूचना संख्या—4317 दिनांक 02.03.2026 द्वारा दिनांक 10.03.2026 से 28.04.2026 तक कुल 50 (पचास) दिनों के लिए विस्तारित किया गया था। तदुपरांत, उनके आवेदन दिनांक 12.04.2026 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या—7474 दिनांक 28.04.2026 द्वारा उन्हें पूर्व में प्रदत्त उपार्जित छुट्टी की निरंतरता में अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के संगत नियम—12 एवं 20 के अधीन चिकित्सीय कारणों से दिनांक 29.04.2026 से 27.07.2026 तक कुल 90 (नब्बे) दिनों की अर्द्धवैतनिक छुट्टी की स्वीकृति एक्स—इंडिया लीव के रूप में प्रदान की गई है।

2. श्रीमती प्रियदर्शिनी से प्राप्त अद्यतन आवेदन दिनांक 14.07.2026 के आलोक में एक्स—इंडिया लीव के रूप में दिनांक 27.07.2026 तक प्रदत्त अर्द्धवैतनिक छुट्टी की निरंतरता में अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के संगत

नियम-12 एवं 20 के अधीन चिकित्सीय कारणों से उन्हें दिनांक 28.07.2026 से 25.10.2026 तक कुल 90 (नब्बे) दिनों की अर्द्धवैतनिक छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

22 जुलाई 2026

सं० 1/अ०-413/2007-सा०प्र०-13304— श्री कुन्दन कुमार, भा.प्र.से. (2004), सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार फाउण्डेशन/प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार-बियाड़ा/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार-आइडा/सचिव, गृह विभाग) को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-05, 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 29.08.2026 एवं 30.08.2026 के साप्ताहिक अवकाशों का पश्च लग्न (सफिक्स) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 10.08.2026 से 28.08.2026 तक कुल 19 (उन्नीस) दिनों उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति तथा आलोच्य छुट्टी अवधि के दौरान दिनांक 12.08.2026 से 29.08.2026 तक कुल 18 (अठारह) दिनों के लिए वैयक्तिक व्यय पर संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.ए.) की निजी विदेश यात्रा हेतु एक्स-इंडिया लीव की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. श्री कुमार की संदर्भित छुट्टी अवधि में उनके द्वारा धारित पदों/दायित्वों के लिए प्रभार की व्यवस्था निम्नवत् रहेगी:-

क्र.	श्री कुमार द्वारा धारित पद/दायित्व	प्रभार की व्यवस्था से सम्बद्ध पदाधिकारी
1	सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना	डॉ. बी. राजेन्द्र, भा.प्र.से. (1995), अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-अपर मुख्य सचिव, जन शिकायत, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना/महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान-बिपार्ड, पटना/अपर मुख्य सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना)
2	सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना	श्री अभय कुमार सिंह, भा.प्र.से.(2004), सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

22 जुलाई 2026

सं० 1/अ०-20/2009-सा०प्र०-13262—डॉ० आशिमा जैन, भा.प्र.से. (बी एच: 2008), अपर सदस्य, राजस्व पर्वद, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-05, 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 01.08.2026 एवं 02.08.2026 के साप्ताहिक अवकाशों का पश्च लग्न (सफिक्स) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 15.07.2026 से 31.07.2026 तक कुल 17 (सत्रह) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. डॉ० आशिमा जैन, भा.प्र.से. की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि के लिए उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों हेतु प्रभार की वैकल्पिक व्यवस्था संबंधित कार्यालय (राजस्व पर्वद, बिहार, पटना) द्वारा आंतरिक रूप से की जाएगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

22 जुलाई 2026

सं० 1/पी०-1005/2025-सा.प्र.-13243—श्रीमती रचना पाटिल, भा.प्र.से.(2010), सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-सचिव, कृषि विभाग) को सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है।

सं० 1/पी०-1005/2025-सा.प्र.-13244—श्री रंजीत कुमार, भा.प्र.से.(2014), अपर सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

22 जुलाई 2026

सं० 1/पी०-2010/2026-सा.प्र.-13232—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-23/2/2026-ईओ(एम एम-I) दिनांक 16.07.2026 द्वारा श्री प्रशांत कुमार सी.एच., भा.प्र.से. (बी एच:2015),

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/ परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना) को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के तहत माननीय केन्द्रीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (श्री भूपेन्द्र यादव) का निजी सचिव नियुक्त किया गया है।

2. प्रासंगिक नियुक्ति के आलोक में श्री प्रशांत कुमार सी.एच. को तत्काल प्रभाव से नवपदस्थापन पर योगदान देने हेतु विरमित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

17 जुलाई 2026

सं० 1/अ०-1014/2015-सा.प्र.-12970—श्रीमती शैलजा शर्मा, भा.प्र.से. (बी एच: 2013), विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-05, 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 20.06.2026 एवं 21.06.2026 के साप्ताहिक अवकाशों का पश्च लग्न (सफिक्स) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 15.06.2026 से 19.06.2026 तक कुल 05 (पांच) दिनों की उपार्जित छुट्टीकी घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

16 जुलाई 2026

सं० 1/पी०-1001/2026-सा.प्र.-12854—श्री अभय कुमार सिंह, भा.प्र.से.(2004), सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री सिंह अगले आदेश तक सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं० 1/पी०-1001/2026-सा.प्र.-12855—श्री दिवेश सेहरा, भा.प्र.से.(2005), सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री सेहरा अगले आदेश तक जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं० 1/पी०-1001/2026-सा.प्र.-12856—श्री दीपक आनन्द, भा.प्र.से.(2007), सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, खेल विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी०-1001/2026-सा.प्र.-12857—श्री राजीव रौशन, भा.प्र.से.(2010), सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना (बांकीपुर विधान सभा क्षेत्र में निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक सचिव, शिक्षा विभाग एवं सचिव, खेल विभाग, बिहार, पटना का अतिरिक्त प्रभार प्रदत्त) अगले आदेश तक सचिव (संसाधन), वित्त विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

सं० 1/पी०-1001/2026-सा.प्र.-12858—श्रीमती रचना पाटिल, भा.प्र.से.(2010), सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं० 1/पी०-1001/2026-सा.प्र.-12859—श्रीमती इनायत खान, भा.प्र.से.(2012), प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना (अतिरिक्त प्रभार—विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी०-1001/2026-सा.प्र.-12860—श्री धर्मेन्द्र कुमार, भा.प्र.से.(2013), अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना अगले आदेश तक विशेष सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं० 1/पी०-1001/2026-सा.प्र.-12861—श्री मनेश कुमार मीणा, भा.प्र.से.(2015), निदेशक, खान, बिहार, पटना अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं० 1/पी०-1001/2026-सा.प्र.-12862—सुश्री श्वेता भारती, भा.प्र.से.(2022), उप विकास आयुक्त—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, खगड़िया को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, सीतामढ़ी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. स्थानांतरण/पदस्थापन/अतिरिक्त प्रभार की इस अधिसूचना से आच्छादित पदों को वर्तमान में अतिरिक्त प्रभार के रूप में धारण करने वाले पदाधिकारी उक्त धारित पद/पदों से मुक्त हो जाएंगे।

3. उपर्युक्त स्थानांतरण/पदस्थापन से प्रभावित वैसे भा.प्र.से. पदाधिकारी जिनका अन्यत्र पदस्थापन नहीं हुआ है, वे सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

14 जुलाई 2026

सं० 1/पी०-1001/2026-सा.प्र.-12641—श्री विनोद सिंह गुंजियाल, भा.प्र.से.(2007), सचिव, निर्वाचन विभाग-सह-मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-सचिव, शिक्षा विभाग/सचिव, खेल विभाग) को बिहार विधान सभा के बांकीपुर, पटना क्षेत्र के उप चुनाव को दृष्टिगत करते हुए प्रासंगिक निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्त होने तक के लिए सचिव, शिक्षा विभाग और सचिव, खेल विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है।

2. श्री राजीव रौशन, भा.प्र.से. (2010), सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना उपर्युक्त व्यवस्था से आच्छादित अवधि में सचिव, शिक्षा एवं सचिव, खेल विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं० 1/पी०-1001/2026-सा.प्र.-12642—श्री मुकेश कुमार, भा.प्र.से.(2014), बंदोबस्त पदाधिकारी, गया की निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापन से संबंधित सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-1/पी.-1001/2026-सा.प्र.-12431 दिनांक 12.07.2026 श्री जय प्रकाश सिंह, भा.प्र.से. (2013), निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय की दिनांक 31.08.2026 को नियत वार्धक्य सेवानिवृत्ति के बाद दिनांक 01.09.2026 से प्रभावी होगी।

2. उपर्युक्त व्यवस्था के आलोक में श्री मुकेश कुमार दिनांक 31.08.2026 तक बंदोबस्त पदाधिकारी, गया के पद पर पूर्ववत् बने रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

शुद्धि-पत्र

13 जुलाई 2026

सं० 1/पी०-1001/2026-सा.प्र.-12540—विभागीय अधिसूचना संख्या-1/पी.-1001/2026-सा.प्र.-12423 -सह-पठित ज्ञापांक-12428 दिनांक 10.07.2026 में श्री कृत्यानन्द रंजन, भा.प्र.से.(2017)के स्थानांतरण से सम्बद्ध पदनाम 'नगर आयुक्त, नालन्दा' के स्थान पर 'नगर आयुक्त, बिहार शरीफ, नालन्दा' पढ़ा जाए।

2. भा.प्र.से.(वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12(1) के तहत श्री कृत्यानन्द रंजन, भा.प्र.से.(2017) द्वारा धारण किए जाने वाले पदको उनके आलोच्य पदस्थापन काल तक के लिए अपर सचिव स्तर के समकक्ष घोषित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

12 जुलाई 2026

सं० 1/पी०-1001/2026-सा.प्र.-12430—श्री संजय कुमार, भा.प्र.से.(2014), विशेष कार्य पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, पटना (अधिसूचना संख्या 1/पी.-1001/2026-सा.प्र.-12419 दिनांक 10.07.2026 द्वारा अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के रूप में अधिसूचित) को अगले आदेश तक अपर सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी०-1001/2026-सा.प्र.-12431—श्री मुकेश कुमार, भा.प्र.से.(2014), बंदोबस्त पदाधिकारी, गया को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी०-1001/2026-सा.प्र.-12432—श्री अखिलेश कुमार सिंह, भा.प्र.से.(2014), अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- अपर सचिव, सिविल विमानन विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी०-1001/2026-सा.प्र.-12433—श्री मनोज कुमार रजक, भा.प्र.से.(2015), अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी०-1001/2026-सा.प्र.-12434—श्री मनोज कुमार, भा.प्र.से.(2017), अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के स्थानांतरण से संबंधित सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-1/पी.-1001/2026 -सा.प्र.-12424 दिनांक 10.07.2026 को निरस्त किया जाता है। तदनुसार, श्री कुमार अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पद पर पूर्ववत् बने रहेंगे।

सं० 1/पी०-1001/2026-सा.प्र.-12435—सुश्री सारा अशरफ, भा.प्र.से.(2021), उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, सुपौल (अधिसूचना संख्या 1/पी०-1001/2026-सा.प्र.-12427 दिनांक 10.07.2026 द्वारा निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के रूप में अधिसूचित) को अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, नालन्दा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी०-1001/2026-सा.प्र.-12436—श्री तुषार कुमार, भा.प्र.से.(2023), अनुमंडल पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर पूर्वी, मुजफ्फरपुर(सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या/ज्ञापांक-14/पद०-704/2025-12418/सा.प्र. दिनांक 10.07.2026 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देने हेतु निदेशित) को अगले आदेश तक अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्णिया के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति एवं धारा-163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां प्रदान की जाती है।

2. स्थानांतरण/पदस्थापन/अतिरिक्त प्रभार की इस अधिसूचना से आच्छादित पदों को वर्तमान में अतिरिक्त प्रभार के रूप में धारण करने वाले पदाधिकारी उक्त धारित पद/पदों से मुक्त हो जाएंगे।

3. उपर्युक्त स्थानांतरण/पदस्थापन से प्रभावित वैसे भा.प्र.से. पदाधिकारी जिनका अन्यत्र पदस्थापन नहीं हुआ है, वे सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

10 जुलाई 2026

सं० 1/पी०-1001/2026-सा.प्र.-12419—श्री संजय कुमार, भा.प्र.से.(2014), विशेष कार्य पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी०-1001/2026-सा.प्र.-12420—श्री मनोरंजन कुमार, भा.प्र.से.(2016), निदेशक (प्रशासन), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी०-1001/2026-सा.प्र.-12421—डॉ० गगन, भा.प्र.से.(2016), प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम (सहकारिता विभाग), पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक नगर आयुक्त, गयाजी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी०-1001/2026-सा.प्र.-12422—श्री विधु भूषण चौधरी, भा.प्र.से.(2016), अपर सचिव, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी०-1001/2026-सा.प्र.-12423—श्री कृत्यानन्द रंजन, भा.प्र.से.(2017), अपर सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक नगर आयुक्त, नालन्दा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी०-1001/2026-सा.प्र.-12424—श्री मनोज कुमार, भा.प्र.से.(2017), अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी०-1001/2026-सा.प्र.-12425—श्री हेमन्त कुमार सिंह, भा.प्र.से.(2017), अपर सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी०-1001/2026-सा.प्र.-12426—श्री प्रदीप सिंह, भा.प्र.से.(2020), संयुक्त सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक अपर प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं० 1/पी०-1001/2026-सा.प्र.-12427—सुश्री सारा अशरफ, भा.प्र.से.(2021), उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, सुपौल को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी०-1001/2026-सा.प्र.-12428—श्री निशांत सिहारा, भा.प्र.से.(2022), अनुमंडल पदाधिकारी, मोतिहारी सदर, पूर्वी चम्पारण को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. भा.प्र.से.(वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12(1) के तहत इस अधिसूचना से सम्बद्ध डॉ० गगन (2016) और श्री कृत्यानन्द रंजन (2017) के पद को अपर सचिव, के समकक्ष घोषित किया जाता है।

3. स्थानांतरण/पदस्थापन/अतिरिक्त प्रभार की इस अधिसूचना से आच्छादित पदों को वर्तमान में अतिरिक्त प्रभार के रूप में धारण करने वाले पदाधिकारी उक्त धारित पद/पदों से मुक्त हो जाएंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

09 जुलाई 2026

सं० 1/अ०-20/2009-सा०प्र०-12290—डॉ० आशिमा जैन, भा.प्र.से. (बी एच: 2008), अपर सदस्य, राजस्व पर्वद, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली -1955 के नियम-05, 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 04.07.2026 एवं 05.07.2026 के साप्ताहिक अवकाशों का पूर्व लग्न (प्रीफिक्स) और दिनांक 11.07.2026 एवं 12.07.2026 के साप्ताहिक अवकाशों का पश्च लग्न (सफिक्स) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 06.07.2026 से 10.07.2026 तक कुल 05 (पांच) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. डॉ० आशिमा जैन, भा.प्र.से. की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि के लिए उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों हेतु प्रभार की वैकल्पिक व्यवस्था संबंधित कार्यालय (राजस्व पर्वद, बिहार, पटना) द्वारा आंतरिक रूप से की जाएगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

09 जुलाई 2026

सं० 1/अ०-1004/2022-सा०प्र०-12213—श्रीमती प्रियंका रानी, भा.प्र.से.(बी एच: 2019), निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-18(डी) के तहत दिनांक 13.07.2026 से 24.07.2026 तक कुल 12 (बारह) दिनों की शिशु देखभाल छुट्टी (Child Care Leave) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्रीमती रानी की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों हेतु प्रभार की वैकल्पिक व्यवस्था संबंधित विभाग (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना) द्वारा आंतरिक रूप से की जाएगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

03 जुलाई 2026

सं० 1/अ०-1016/2019-सा०प्र०-11927—श्री तनय सुल्तानिया, भा.प्र.से. (बी एच: 2017), जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत वैयक्तिक व्यय पर वियतनाम की निजी विदेश यात्रा हेतु दिनांक 09.07.2026 से 14.07.2026 तक कुल 06 (छः) दिनों की उपार्जित छुट्टी का एक्स-इंडिया लीव के रूप में उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. श्री सुल्तानिया की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के अतिरिक्त प्रभार में उप विकास आयुक्त, भोजपुर, आरा रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

03 जुलाई 2026

सं० 1/अ०-1001/2025-सा०प्र०-11923—विभागीय अधिसूचना संख्या-सह-पठित ज्ञापांक-11048 दिनांक 21.06.2026 द्वारा श्रीमती अनन्या सिंह, भा.प्र.से.(2020) को अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें आयुक्त, मनरेगा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

2. ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक ग्रा.वि.07(वीबी-जी राम जी)-01/2026-5736787 दिनांक 09.06.2026 में निहित निर्णय के आलोक में श्रीमती अनन्या सिंह के अतिरिक्त प्रभार को आयुक्त, वीबी-जी रामजी के रूप में पदनामित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

01 जुलाई 2026

सं० 1/अ०-1001/2026-सा०प्र०-11689—श्री यतेन्द्र कुमार पाल, भा.प्र.से.(2019), प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड, पटना को अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड, पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

24 जून 2026

सं० 1/सी०-1019/2023-सा०प्र०-11345—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-14015/04/2026-एआईएस-1(I)-बी दिनांक 11.06.2026 से राज्य असैनिक सेवा से प्रोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार संवर्ग) के संयुक्त सचिव स्तर में नियुक्ति के उपरान्त निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-1/सी०-1009/2026-सा.प्र.-10721 दिनांक 16.06.2026 के अनुसार भा.प्र.से. का प्रभार ग्रहण करने वाले निम्नांकित 14 पदाधिकारियों (जिन्हें भारत सरकार के आदेश 14015/04/2026-एआईएस-1 दिनांक 15.06.2026 द्वारा क्रमांक- 1 से 8 के पदाधिकारियों को बैच वर्ष, 2016 तथा क्रमांक 9 से 14 तक के पदाधिकारियों को बैच वर्ष, 2017 आवंटित है) को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-20011/02/2022-ए आई एस-1। दिनांक 07.10.2023 में निहित मार्गदर्शन के तहत भा०प्र०से० के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (अपर सचिव स्तर, वेतनमान-लेवल-12-रु.78,800-2,09,200/-) में दिनांक 17.06.2026 के प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान की जाती है:-

क्र.	पदाधिकारी का नाम एवं बैच	वर्तमान पदस्थापन
1	श्री मृणायक दास (2016)	संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
2	श्री मनोरंजन कुमार (2016)	निदेशक (प्रशासन), (संयुक्त सचिव स्तर) शिक्षा विभाग, बिहार, पटना
3	श्री विकास कुमार (2016)	संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (अतिरिक्त प्रभार- सचिव, बिहार युवा आयोग, पटना)
4	डॉ० गगन (2016)	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम, पटना (संयुक्त सचिव स्तर), सहायिता विभाग, बिहार, पटना।
5	श्री अंजलि कुमार(2016)	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, पूर्णिया (संयुक्त सचिव स्तर)
6	मो० इजतबा हुसैन (2016)	संयुक्त सचिव, सांस्थिक वित्त शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना।
7	श्री रजनीश कुमार (2016)	संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
8	श्री विधु भूषण चौधरी(2016)	संयुक्त सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना।
9	मो० वसीम अहमद (2017)	संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना
10	श्री कृत्यानन्द रंजन (2017)	संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना
11	मो० राशिद आलम (2017)	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, पटना (संयुक्त सचिव स्तर)
12	श्री इब्रार अहमद खॉं (2017)	संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना
13	श्री मनोज कुमार (2017)	संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना
14	श्री हेमन्त कुमार सिंह (2017)	संयुक्त सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना

2. अधिसूचना के क्रमांक 4 एवं 11 के पदाधिकारियों द्वारा धारित अपर सचिव से भिन्न पदों को भा०प्र०से० (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12(1) के तहत उनके पदस्थापनकाल तक के लिए अपर सचिव स्तर के समकक्ष घोषित किया जाता है।

3. प्रोन्नत पदाधिकारी एफ आर 22(1)(ए)(2) के निम्नांकित प्रावधान के तहत आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं:-

“Under FR 22(1)(a)(2) also there is a provision that on appointment on regular basis to such new post, other than to an ex-cadre post on deputation, the Government servant shall have the option, to be exercised within one month from the date of such appointment, for fixation of his pay in the new post with effect from the date of increment in the old post.”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

22 जून 2026

सं० 1/अ०-1014/2025-सा०प्र०-11145—श्रीमती श्रेया श्री, भा.प्र.से. (बी एच: 2022) (सम्प्रति मातृत्व छुट्टी पर) को विभागीय अधिसूचना संख्या-1/अ०-1014 /2025-सा०प्र०-232 दिनांक 02.01.2026 द्वारा दिनांक 01.01.2026 से 29.06.2026 तक कुल 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के लिए स्वीकृत मातृत्व छुट्टी की निरंतरता में उन्हें अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-18(डी) के तहत दिनांक 30.06.2026 से 28.08.2026 तक कुल 60 (साठ) दिनों की शिशु देखभाल छुट्टी (Child Care Leave) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

21 जून 2026

सं० 1/पी०-1001/2025-सा०प्र०-11050—श्री प्रमोद कुमार., बि.प्र.से.(कोटि क्रमांक -88/2026, गृह जिला-नालन्दा) (सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को अगले आदेश तक अपर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

21 जून 2026

सं० 1/पी०-1001/2025-सा०प्र०-11049—श्री मुकेश कुमार लाल (आई.ए.ए.एस.), विशेष सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- निदेशक, कृषि) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, कृषि, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री लाल अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार, राज्य बीज निगम, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

21 जून 2026

सं० 1/पी०-1001/2025-सा.प्र.-11033—श्री अनिमेष कुमार पराशर, भा.प्र.से.(2010), प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना अगले आदेश तक सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं० 1/पी०-1001/2025-सा.प्र.-11034—श्री शीर्षत कपिल अशोक, भा.प्र.से.(2011), प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, पटना (अतिरिक्त प्रभार-विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम, पटना/प्रभारी सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग)को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, कम्पेड, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री अशोक अगले आदेश तक विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम, पटना/प्रभारी सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के अतिरिक्त प्रभार में बने रहेंगे।

सं० 1/पी०-1001/2025-सा.प्र.-11035—श्री निलेश रामचंद्र देवरे, भा.प्र.से. (2011), विशेष सचिव, सिविल विमानन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रभारी सचिव, सिविल विमानन विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना) अगले आदेश तक विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

सं० 1/पी०-1001/2025-सा.प्र.-11036—श्री नवल किशोर चौधरी, भा.प्र.से.(2013), (अधिसूचना ज्ञापांक-10934 दिनांक 18.06.2026 द्वारा समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पद से विमुक्ति अधिसूचित) को अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य संचरण कम्पनी लिमिटेड, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री चौधरी अगले आदेश तक विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

3. उपर्युक्त व्यवस्था के आलोक में श्री राहुल कुमार, भा.प्र.से. (2011), प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य संचरण कम्पनी लिमिटेड, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे।

सं० 1/पी०-1001/2025-सा.प्र.-11037—श्री नवदीप शुक्ला, भा.प्र.से.(2013), (अधिसूचना ज्ञापांक-10934 दिनांक 18.06.2026 द्वारा समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, बांका के पद से विमुक्ति अधिसूचित) को अगले आदेश तक विशेष सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री शुक्ला अगले आदेश तक अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं० 1/पी०-1001/2025-सा.प्र.-11038—श्री पवन कुमार सिन्हा, भा.प्र.से.(2013), (अधिसूचना ज्ञापांक-10934 दिनांक 18.06.2026 द्वारा समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पद से विमुक्ति अधिसूचित) को अगले आदेश तक विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी०-1001/2025-सा.प्र.-11039—श्री सौरभ जोरवाल, भा.प्र.से.(2014), प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं० 1/पी०-1001/2025-सा.प्र.-11040—श्री कुमार मंगलम, भा.प्र.से.(2014), नगर आयुक्त, नगर निगम, पूर्णिया को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, राजस्व पर्यद, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी०-1001/2025-सा.प्र.-11041—श्री प्रशांत कुमार सी एच, भा.प्र.से.(2015),अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी—सह—अपर सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना) अगले आदेश तक परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

सं० 1/पी०-1001/2025-सा.प्र.-11042—श्री विशाल राज, भा.प्र.से.(2017), (अधिसूचना ज्ञापांक-10934 दिनांक 18.06.2026 द्वारा समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, किशनगंज के पद से विमुक्ति अधिसूचित) को अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पॉवर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. उपर्युक्त व्यवस्था के आलोक में श्री राहुल कुमार, भा.प्र.से. (2011), प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पॉवर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे।

सं० 1/पी०-1001/2025-सा.प्र.-11043—श्री स्पर्श गुप्ता, भा.प्र.से.(2019),प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी०-1001/2025-सा.प्र.-11044—श्री श्रेष्ठ अनुपम, भा.प्र.से.(2020),उप विकास आयुक्त—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी०-1001/2025-सा.प्र.-11045—श्री अभिषेक पलासिया, भा.प्र.से.(2020), नगर आयुक्त, गया नगर निगम, गयाजी को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी०-1001/2025-सा.प्र.-11046—श्री प्रदीप सिंह, भा.प्र.से.(2020), उप विकास आयुक्त—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, भागलपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी०-1001/2025-सा.प्र.-11047—श्री कुमार निशांत विवेक, भा.प्र.से.(2020), नगर आयुक्त, बिहार शरीफ नगर निगम, नालन्दा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी०-1001/2025-सा.प्र.-11048—श्रीमती अनन्या सिंह, भा.प्र.से.(2020), उप विकास आयुक्त—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, औरंगाबाद को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्रीमती अनन्या सिंह अगले आदेश तक आयुक्त, मनरेगा के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी।

2. भा.प्र.से.(वेतन) नियमावली,2016 के नियम-12(1) के तहत, इस अधिसूचना से सम्बद्ध श्री शीर्षत कपिल अशोक (2011) और श्री नवल किशोर चौधरी (2013) के पद को विशेष सचिव, श्री विशाल राज (2017) के पद को अपर सचिव तथा श्री स्पर्श गुप्ता (2019) एवं श्रीमती अनन्या सिंह (2020) के पद को संयुक्त सचिव के समकक्ष घोषित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

18 जून 2026

सं० 1/पी०-1001/2026-सा.प्र.-10914—श्री आनन्द किशोर, भा.प्र.से.(1996), अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना (अतिरिक्त प्रभार— अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी०-1001/2026-सा.प्र.-10915—श्री रॉबर्ट एल० चोंग्थू, भा.प्र.से.(1997), प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी०-1001/2026-सा.प्र.-10916—मो० सोहैल, भा.प्र.से.(2007), सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार— जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. साथ ही, मो० सोहैल अगले आदेश तक सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग एवं जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

सं० 1/पी०-1001/2026-सा.प्र.-10917—श्री त्यागराजन एस.एम, भा.प्र.से.(2011), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री त्यागराजन अगले आदेश तक विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं० 1/पी०-1001/2026-सा.प्र.-10918—श्री नवीन कुमार, भा.प्र.से. (2011), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, खगड़िया को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री कुमार प्रभारी सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग/प्रभारी सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग और प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

3. आलोच्य व्यवस्था के आलोक में श्री अजय यादव, भा.प्र.से. (2005), सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग और प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना और श्री चन्द्रशेखर सिंह, भा.प्र.से. (2010), सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे।

सं० 1/पी०-1001/2026-सा.प्र.-10919—श्री कुन्दन कुमार, भा.प्र.से. (2012) समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, नालन्दा (बिहार शरीफ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, पटना के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

सं० 1/पी०-1001/2026-सा.प्र.-10920—श्री सुब्रत कुमार सेन, भा.प्र.से. (2013), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. आलोच्य व्यवस्था के आलोक में श्री अमित कुमार पाण्डेय, भा.प्र.से. (2014), प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे।

सं० 1/पी०-1001/2026-सा.प्र.-10921—श्री धर्मेन्द्र कुमार, भा.प्र.से. (2013), निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. आलोच्य व्यवस्था के आलोक में श्री चन्द्रशेखर सिंह, भा.प्र.से. (2010), अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे।

सं० 1/पी०-1001/2026-सा.प्र.-10922—श्रीमती छिरिड. वाई. भूटिया, भा.प्र.से. (2013), विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

सं० 1/पी०-1001/2026-सा.प्र.-10923—श्रीमती उदिता सिंह, भा.प्र.से. (2014) समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, नालन्दा (बिहार शरीफ) के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

सं० 1/पी०-1001/2026-सा.प्र.-10924—श्री सौरभ जोरवाल, भा.प्र.से. (2014), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. आलोच्य व्यवस्था के आलोक में श्री राहुल कुमार, भा.प्र.से. (2011), प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे।

सं० 1/पी०-1001/2026-सा.प्र.-10925—श्री अंशुल अग्रवाल, भा.प्र.से. (2016), निबंधन महानिरीक्षक-सह-उत्पाद आयुक्त, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, बांका के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

सं० 1/पी०-1001/2026-सा.प्र.-10926—श्रीमती अलंकृता पाण्डेय, भा.प्र.से. (2016) समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, जहानाबाद को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

सं० 1/पी०-1001/2026-सा.प्र.-10927—श्री कुमार गौरव, भा.प्र.से. (2017) अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

सं० 1/पी०-1001/2026-सा.प्र.-10928—श्री समीर सौरभ, भा.प्र.से. (2019), प्रबंध निदेशक, कम्फेड, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

सं० 1/पी0-1001/2026-सा.प्र.-10929—श्री सौरभ सुमन यादव, भा.प्र.से. (2019), निदेशक, कृषि, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. आलोच्य स्थानांतरण के आलोक में श्री मुकेश कुमार लाल (आई.ए.ए.एस.), विशेष सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक निदेशक, कृषि, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं० 1/पी0-1001/2026-सा.प्र.-10930—डॉ० प्रीति, भा.प्र.से. (2019), उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जहानाबाद को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं (आई०सी०डी०एस०), बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. डॉ० प्रीति अगले तक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगी।

सं० 1/पी0-1001/2026-सा.प्र.-10931—श्री नवीन कुमार, भा.प्र.से. (2019), परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, किशनगंज के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

सं० 1/पी0-1001/2026-सा.प्र.-10932—श्री विक्रम विरकर, भा.प्र.से. (2019), निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

सं० 1/पी0-1001/2026-सा.प्र.-10933—श्री दीपक कुमार मिश्रा, भा.प्र.से. (2019), संयुक्त सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—अपर निदेशक, मिशन निदेशक का कार्यालय, बिहार विकास मिशन, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

सं० 1/पी0-1001/2026-सा.प्र.-10934—सुश्री चन्द्रिमा अत्री, भा.प्र.से. (2020), विशेष कार्य पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. भा.प्र.से.(वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12(1) के तहत, श्री त्यागराजन एस.एम. (2011), श्री सुब्रत कुमार सेन (2013), श्री धर्मेन्द्र कुमार (2013) के पदस्थापन सम्बद्ध पद को विशेष सचिव स्तर तथा श्री सौरभ जोरवाल (2014) से सम्बद्ध पद को अपर सचिव स्तर के समकक्ष घोषित किया जाता है।

3. संदर्भित स्थानांतरण/पदस्थापन से आच्छादित वैसे पदाधिकारी जिनका अन्यत्र स्थानांतरण नहीं हुआ है, वे सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान देकर पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

18 जून 2026

सं० 1/एल०-28/2001-सा.प्र.-10869—श्री संतोष कुमार मल्ल, भा.प्र.से. (बी एच: 1997), प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, स्थानिक आयुक्त कार्यालय, बिहार भवन, नई दिल्ली) को पारिवारिक शादी समारोह में शामिल होने के लिए अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-05, 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 04.07.2026 एवं 05.07.2026 के साप्ताहिक अवकाशों का पूर्व लग्न (प्रीफिक्स) तथा दिनांक 11.07.2026 एवं 12.07.2026 के साप्ताहिक अवकाशों का पश्च लग्न (सफिक्स) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 06.07.2026 से 10.07.2026 तक कुल 05 (पांच) दिनों की उपाजित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री मल्ल की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि के लिए उनके द्वारा धारित पदों/दायित्वों हेतु प्रभार की वैकल्पिक व्यवस्था संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा आंतरिक रूप से की जाएगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

17 जून 2026

सं० 1/सी०-1009/2026-सा.प्र.-10805—चयन सूची, 2025 के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम-5(1) के अधीन भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों के विरुद्ध कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-14015/04/2026-एआईएस(I)-बी दिनांक 11.06.2026 के माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम-8(1)-सह-भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रोन्नति द्वारा

नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के पठित विनियम-9(1) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम-3 के तहत राज्य असैनिक सेवा (बिहार प्रशासनिक सेवा) के 14 (चौदह) पदाधिकारियों की भा.प्र.से. (बिहार संवर्ग) में अधिसूचित नियुक्ति के आलोक में विभागीय अधिसूचना-10721 दिनांक 16.06.2026 से संबंधित पदाधिकारियों को बिहार प्रशासनिक सेवा के धारित पद का प्रभार भा.प्र.से. के संयुक्त सचिव के रूप में ग्रहण करने हेतु निदेशित किया गया है।

2. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-11/आ०वि०-01/2024 -सा.प्र.-1014 दिनांक 18.01.2024 में निहित निर्देश के आलोक में प्रासंगिक विभागीय अधिसूचना संख्या-10721 दिनांक 16.06.2026 में सम्मिलित पदाधिकारियों द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के सदस्य के रूप में धारित पदों को निम्नवत् संशोधित किया जाता है:-

क्र.	पदाधिकारी का नाम एवं भा.प्र.से. के लिए आवंटित बैच	अधिसूचना दिनांक 16.06.2026 में अंकित बिहार प्रशासनिक सेवा का पद	विभागीय पत्रांक-1014 दिनांक 18.01.2024 के तहत बिहार प्रशासनिक सेवा में धारित उच्चतर प्रभार का पद
1	श्री मृणायक दास (2016)	अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना	विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
2	श्री मनोरंजन कुमार (2016)	निदेशक (प्रशासन), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना	निदेशक (प्रशासन) - विशेष सचिव स्तर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना
3	श्री विकास कुमार (2016)	अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार -सचिव, बिहार युवा आयोग, पटना)	विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार -सचिव, बिहार युवा आयोग, पटना)
4	डॉ. गगन (2016)	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम, पटना	प्रबंध निदेशक (विशेष सचिव स्तर), बिहार राज्य भंडार निगम (सहकारिता विभाग), पटना
5	श्री अंजनी कुमार (2016)	उप विकास आयुक्त-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, पूर्णिया	उप विकास आयुक्त-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद (विशेष सचिव स्तर), पूर्णिया
6	मो. इजतबा हुसैन (2016)	संयुक्त सचिव, सांस्थिक वित्त शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना	अपर सचिव, सांस्थिक वित्त शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना
7	श्री रजनीश कुमार (2016)	अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना	अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना
8	श्री विधु भूषण चौधरी (2016)	संयुक्त सचिव, सूचना एवं जन -सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना	अपर सचिव, सूचना एवं जन -सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना
9	मो. वसीम अहमद (2017)	विशेष कार्य पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना	संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना
10	श्री कृत्यानन्द रंजन (2017)	संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना	अपर सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना
11	मो. राशिद आलम (2017)	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, पटना	जिला पंचायती राज पदाधिकारी (संयुक्त सचिव स्तर), पटना
12	श्री इब्रार अहमद खॉं (2017)	सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना	अपर सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना
13	श्री मनोज कुमार (2017)	संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना	अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना
14	श्री हेमन्त कुमार सिंह (2017)	अपर सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना	अपर सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना

3. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-1/सी.-1009/ 2026-सा.प्र.-10721 दिनांक 16.06.2026 की अन्य स्थितियां अपरिवर्तित रहेंगी।

2. प्रोन्नत पदाधिकारी एफआर 22(1)(ए)(2) के निम्नांकित प्रावधान के तहत आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं:-

“Under FR 22(1)(a)(2) also there is a provision that on appointment on regular basis to such new post, other than to an ex-cadre post on deputation, the Government servant shall have the option, to be exercised within one month from the date of such appointment, for fixation of his pay in the new post with effect from the date of increment in the old post.”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

17 जून 2026

सं० 1/पी0-1001/2026-सा.प्र.-10804—श्री कुन्दन कृष्णन, भा.पु.से.(बीएच:1994), पुलिस महानिदेशक (अभियान), विशेष कार्यबल, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, स्थानिक आयुक्त का कार्यालय, बिहार भवन, नई दिल्ली) को विशेष कार्य पदाधिकारी, स्थानिक आयुक्त का कार्यालय, बिहार भवन, नई दिल्ली के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

17 जून 2026

सं० 1/पी0-1001/2026-सा.प्र.-10803—डॉ० नन्द लाल आर्य, भा.प्र.से.(2014), अपर सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी, बक्सर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. भा.प्र.से.(वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12(1) के तहत डॉ० नन्द लाल आर्य, भा.प्र.से. (2014) द्वारा धारण किए जाने वाले पदको उनके आलोच्य पदस्थापनकाल तक के लिए अपर सचिव स्तर के समकक्ष घोषित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

16 जून 2026

सं० 1/सी0-1009/2026-सा.प्र.-10721—चयन सूची, 2025 के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम-5(1) के अधीन भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों के विरुद्ध कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-14015/04/2026-एआईएस(I)-बी दिनांक 11.06.2026 के माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम-8(1)-सह-भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के पठित विनियम-9(1) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम-3 के तहत राज्य असैनिक सेवा (बिहार प्रशासनिक सेवा) के 14 (चौदह) पदाधिकारियों की भा.प्र.से. (बिहार संवर्ग) में नियुक्ति अधिसूचित की गई है।

2. भारत सरकार की आलोच्य अधिसूचना दिनांक 11.06.2026 से राज्य असैनिक सेवा से प्रोन्नति द्वारा भा.प्र.से. (बिहार संवर्ग) में नियुक्त पदाधिकारी और उनके स्तर से बिहार प्रशासनिक सेवा के सदस्य के रूप में धारित वर्तमान पद निम्नवत् हैं:-

क्र.	पदाधिकारी का नाम एवं बैच	बि.प्र.से. के रूप में धारित वर्तमान पद
1	श्री मृणायक दास (2016)	अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
2	श्री मनोरंजन कुमार (2016)	निदेशक (प्रशासन), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना
3	श्री विकास कुमार (2016)	अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-सचिव, बिहार युवा आयोग, पटना)
4	डॉ. गगन (2016)	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम, पटना
5	श्री अंजनी कुमार (2016)	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, पूर्णिया
6	मो. इजतबा हुसैन (2016)	संयुक्त सचिव, सांस्थिक वित्त शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना
7	श्री रजनीश कुमार (2016)	अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना
8	श्री विधु भूषण चौधरी (2016)	संयुक्त सचिव, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना
9	मो. वसीम अहमद (2017)	विशेष कार्य पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

10	श्री कृत्यानन्द रंजन (2017)	संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना
11	मो. राशिद आलम (2017)	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, पटना
12	श्री इब्रार अहमद खॉ (2017)	सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना
13	श्री मनोज कुमार (2017)	संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना
14	श्री हेमन्त कुमार सिंह (2017)	अपर सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना

3. बिहार प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार संवर्ग) में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त उपर्युक्त कडिका-2 के पदाधिकारी अगले आदेश तक सम्प्रति धारित पद/पदों का प्रभार **भा.प्र.से. (संयुक्त सचिव स्तर)** के रूप में ग्रहण करेंगे।

2. प्रोन्नत पदाधिकारी एफआर 22(1)(ए)(2) के निम्नांकित प्रावधान के तहत आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं:-

“Under FR 22(1)(a)(2) also there is a provision that on appointment on regular basis to such new post, other than to an ex-cadre post on deputation, the Government servant shall have the option, to be exercised within one month from the date of such appointment, for fixation of his pay in the new post with effect from the date of increment in the old post.”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

10 जून 2026

सं० 1/अ०-1025/2013-सा.प्र.-10293—विभागीय अधिसूचना संख्या-1/अ०-1025/2013-सा०प्र०-8633 दिनांक 15.05.2026 के माध्यम से श्रीमती सीमा त्रिपाठी, भा.प्र.से. (बी एच: 2009), सचिव, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-05, 10, 11 एवं 20 के तहत पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए दिनांक 30.05.2026 एवं 31.05.2026 के साप्ताहिक अवकाशों का पूर्व लग्न (प्रीफिक्स) और दिनांक 13.06.2026 एवं 14.06.2026 के साप्ताहिक अवकाशों का पश्च लग्न (सफिक्स) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 01.06.2026 से 12.06.2026 तक कुल 12 (बारह) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदत्त है।

2. श्रीमती सीमा त्रिपाठी, भा.प्र.से. (बी एच: 2009), सचिव, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना (अतिरिक्त प्रभार-सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) से प्राप्त अद्यतन अनुरोध दिनांक 04.06.2026 के आलोक में विभागीय अधिसूचना दिनांक 15.05.2026 के माध्यम से उनके पक्ष में स्वीकृत उपार्जित छुट्टी को निरस्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

10 जून 2026

सं० 1/अ०-1009/2015-सा.प्र.-10291—श्री सौरभ जोरवाल, भा.प्र.से. (बी एच: 2014), जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को परिवार से मिलने एवं पारिवारिक समारोह (गृह प्रवेश) में शामिल होने के लिए राज्य से बाहर राजस्थान (जयपुर एवं कोटा) जाने हेतु अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 15.06.2026 से 20.06.2026 तक कुल 06 (छः) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री जोरवालकी आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के अतिरिक्त प्रभार में वरीय अपर समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 22—571+10-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

No. 864--I, RINA KUMARI, W/O- Ajay Kumar Singh, R/O- Vill- Gobinddih, P.O.- Bachari, District- Bhojpur, Bihar- 802207. Do hereby solemnly affirm and declare that in my daughter's (TANNU KUMARI) Class 10th (CBSE) mark sheet my name is written as RINA DEVI. But, in my Aadhar Card my is written as RINA KUMARI. Here, RINA DEVI and RINA KUMARI both are the same and one person. And, from now I shall be known as **RINA KUMARI** for all purposes. Affidavit no.-2608, Date:-09/05/2026.

RINA KUMARI.

No. 865-- I, SHYAM SUNDER, S/o. Krishna Kumar Sahu, R/o - Flat no 202/203, Arjuna J.K Tower, T.N Banerjee Road, Near Biscoman, Patna G.P.O., Patna, Bihar - 800001. Do hereby solemnly affirm and declare that in my Aadhar and PAN as well as in my educational documents my name is mentioned as SHYAM SUNDER. Now, I want to add the title 'SAHU' to my name. Hence, in this way my name became SHYAM SUNDER SAHU. Here, both the names belong to the names of the same person. And, from now in my future I will be known as **SHYAM SUNDER SAHU** for all my legal purposes. Affidavit no. – 1177s, Date: - 27/02/2026

SHYAM SUNDER.

No. 866--I, **SHASHI** Rani Bala Agrawal W/O- Ram Prakash Agrawal, R/O- Harizon Colony, Bodh Gaya. P.o. Bodh Gaya, Dist. Gaya Jee, (Bihar) Pincode. 824231, declare vide Affidavit No. 25763 Dated 01.07.2026, That Alisha Agrawal is my daughter. that my said daughter has passed (CBSE) 10th Board which mother's name has recorded as **Shashi Agrawal**, which is wrong where as my actual & correct name is **Shashi Rani Bala Agrawal**.

SHASHI.

No. 867—I, Nawendu Kumar S/o Bipin Bihari Prasad, R/o Shahganj, Benta D.M.C Ahila Darbhanga, Bihar-846003 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-1105, dt. 04.04.2026 that my name is written in my daughter Saskhi Srivastava's CBSE Class 10th all educational documents as Nawendu Srivastava. In B.S.E.B Class 12th all educational Certificate as Nawendu Sinha.in Aadhar Card written as Nawendu Kumar. Above written all three names are same and one person. From now I shall be known as Nawendu Kumar for all purposes.

Nawendu Kumar.

No. 868—I, Kamta Prasad Roy, S/o Bishnu Prasad Roy, R/o Jagat Bhawani Apartment, Flat No.-B44, East Boring Canal Road, Phulwari, Patna, Bihar-800001 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-2545, dt. 08.05.2026 that my name is written as Kamta Pd. Roy in my son Anubhav Anand's C.B.S.E. Class 10th and 12th all educational documents. In Aadhar Card written as Kamta Prasad Roy. Both names are same and one person. From now I will be known as Kamta Prasad Roy for all purposes.

Kamta Prasad Roy.

No. 869-- I, NASARIN Khanam, W/o- Md Noorain Khan, R/o- Village- Morwara, Po.- Morwara II, P.S.-Biraul, Distt-Darbhanga vide Affi. No. 997/28.07.2025 declare that my daughter's name is Nishat Kkanam in my daughter's Aadhar, whereas my daughter real name is Nishat Khanam, which is mentioned on my daughter's Matriculation certificate.

NASARIN Khanam.

सं० 869—मैं, Nasarin Khanam, पति- Md Noorain Khan, निवासी गांव-मोड़वारा, पोस्ट-मोड़वारा II, पीएस -बिरौल, जिला-दरभंगा श.प.सं.-997/28.07.2025 के अनुसार घोषणा करती हूँ कि मेरी बेटी का नाम मेरी बेटी के आधार में Nishat Kkanam है, जबकि मेरी बेटी का असली नाम Nishat Khanam है, जो मेरी बेटी के मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र पर अंकित है।

Nasarin Khanam.

सं० 870—मैं, हरदेव साह, पिता स्वर्गीय तिनकौड़ी साह, निवासी : जयप्रकाश नगर, वार्ड नं०- 07, अररिया, घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री भूलवश आधार कार्ड में नाम टोनी कुमारी (Toni Kumari) अंकित हो गया है। जबकि मेरी पुत्री का सही व वास्तविक नाम टोनिका कुमारी (Tonika Kumari) है। शपथ पत्र संख्या—19489/2026.

हरदेव साह।

सं० 871—मैं, इंदु देवी, पति- मनोज कुमार, पता- वैष्णवी निवास, न्यू यारपुर, जनता रोड, जय राम गली, पटना, बिहार-1, शपथ पत्र संख्या- 5040, दिनांक 04.07.2026 के द्वारा घोषणा करती हूँ कि मेरा पुत्र यश राज (Yash Raj) अब अभिनव यादव (Abhinav Yadav) के नाम से जाना जायेगा।

इंदु देवी।

No. 872--I, Punam Singh, Wife of Dinesh Kumar Singh R/o A-39, Vidhy Villa, Sachiwalya Colony, Near Central School, P.S.-Patrakar Nagar, Kankarbagh, Patna, Bihar-800020 vide Affidavit No. 1249 date 23.7.26 do hereby solemnly affirm and declare that my correct name is Punam Singh mentioned in Aadhar card. My daughter educational certificate mentioned as Poonam Singh. Punam Singh and Poonam Singh both are same and one person. From now I will be known as Punam Singh for all future purposes.

Punam Singh.

सं० 873—मैं पवित्री देवी, पति स्व० योगेन्द्र कापर, निवासी ग्राम-विशनपुर गोनाही, वार्ड नं० 07, थाना-भुतही, प्रखण्ड-सोनबरसा, जिला-सितामढी (बिहार) शपथपूर्वक निम्नलिखित ब्यान करती हूँ कि यह कि मैं उपर्युक्त पते का स्थायी निवासी हूँ। मेरा आधार कार्ड में पवित्र देवी (Pavitra Devi) है जो गलत है। मेरा सही नाम पवित्री देवी (Pavitri Devi) है। जो मेरे वोटर आईडी में अंकित है। अब मैं भविष्य में सभी कार्य हेतु पवित्री देवी (Pavitri Devi) के नाम से जानी एवं पहचानी जाऊँगी। Affidavit no. 3575, Date:- 10/07/2026

पवित्री देवी।

No. 874--I, Saurabh S/o Brajendra Kumar R/o Village- Khaneta, PO+PS- Belaganj, District - Gaya ji (Bihar), do hereby solemnly affirm and declare on oath as under:- My educational certificate mention as Saurabh as well as Aadhar, PAN, Voter but, I want to add Shekhar that from know I will be known as Saurabh Shekhar all future purpose vide affidavit No 522 date 25 Jul 2026.

Saurabh.

सं० 875—मैं अमृता राज (Amrita Raj) पति राकेश कुमार, निवास- पटेल नगर, पोस्ट+थाना- वारिसअलीगंज, जिला- नवादा, बिहार शपथ पत्र संख्या- 11023, दिनांक 12.06.2026 के द्वारा सूचित करती हूँ की मेरे आधार कार्ड मे मेरा नाम Amirita Raj (अमृतिता राज) दर्ज है जो गलत है। मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मेरा नाम Amrita Raj (अमृता राज) दर्ज है, जो सही है। अमृतिता राज (Amirita Raj) एवं Amrita Raj (अमृता राज) दोनो एक ही महिला है। सारे कार्यों के लिए Amrita Raj (अमृता राज) के नाम से जानी पहचानी जाऊँगी।

अमृता राज।

No. 850--I, Pallawi Ambreesh Kumar D/o Surendra Mohan Sahay, R/o Bikaner, Shop, 209 B Facing Prarambhik School, S.K. Puri, Patna, Bihar-800001 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 1261 dt. 17.04.2026 that Anusha Ambreesh Kumar is my daughter. My name is mentioned in her CBSE Class 10th and 12th educational documents as Pallawi. In Aadhar Card mentioned as Pallawi Ambreesh Kumar. Both names are same and one person. From now I shall be known as Pallawi Ambreesh Kumar for all purposes.

Pallawi Ambreesh Kumar.

No. 851--I, Sanjana Kumari D/o Rambalak Yadav, R/o Ward No-20, Chandwara Vtc, Pachmma, P.O- Suhrid Nagar Cheria Baktiyarpur, Distt.- Begusarai, Bihar-851218 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 3475 dt. 13.06.2026 that my name is written in my Aadhar Card as Sanjana Kumari, whereas in educational documents written as Sanjna Kumai. Both names are same and one person. From now I shall be known as Sanjna Kumari for all purposes.

Sanjana Kumari.

No. 852--I, Pooja Kumari W/o Vinay Kumar Hazari R/o Mohalla- Noon Ka Chauraha, Sudarshan Path, Patna City, Distt- Patna (Bihar)-800008 do hereby declare as per aff. No. 3976, dt. 04.07.2026 that my name has been mentioned in Voter Id and Pan Card as Pooja Devi. In all educational documents and Aadhar Card mentioned as Pooja Kumari. Pooja Kumari and Pooja Devi both names are same and one person. From Now I shall be known as Pooja Devi for all purposes.

Pooja Kumari.

सं० 853—मैं, रुक्मिणी कुमारी पति राज किशोर प्रसाद, साकिन - चर्च के पीछे, मिशन कम्पाउण्ड, इस्ट दहियावां थाना - छपरा नगर, जिला - सारण की निवासी हूँ यह कि मेरे पुत्र के केन्द्रीय माध्यमिक बोर्ड के अंक पत्र में माता के नाम में अंग्रेजी के अक्षर में RUKMANI KUMARI अंकित है जो गलत है. जबकि मेरे आधारकार्ड में अंग्रेजी के अक्षर में Rukmini Kumari अंकित है जो सही है. जिसके लिए शपथ पत्र दे रही हूँ, शपथ पत्र संख्या - 1245 -02.05.26 है।

रुक्मिणी कुमारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 22—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>